JEE ADVANCED 2025

जेईई (उच्च) 2025

सूचना विवरणिका

आयोजक संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

जेईई (उच्च) 2025

सूचना विवरणिका

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
द्वारा आयोजित

सूचना विवरणिका में निहित जानकारी जनता के लिए है। सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। दस्तावेज़ में किसी भी रूप में जोड़ने, हटाने या संशोधन की अनुमति नहीं हैं।

https://jeeadv.ac.in

आयोजक संस्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

संपर्क विवरण:
अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
कानपुर – 208016
ई मेल: orgjee@iitk.ac.in

विषय-सूची

भाग-I: संस्थान 5

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 3
2. शैक्षणिक कार्यक्रम 5
3. सीटों का आरक्षण 6
4. रक्षा सेवा अभ्यर्थी 8
5. महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिसंख्य सीटें 8
6. विदेशी नागरिक एवं ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी 8
7. जेईई (उच्च) रैंक के आधार पर प्रवेश देने वाले अन्य संस्थान 11

भाग-II: परीक्षा 13

8. परीक्षा 15
9. जेईई (उच्च) 2025 की अनुसूची 15
10. जेईई (मुख्य) 2025 16
11. जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड 16
12. जेईई (उच्च) 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 22
13. जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण शुल्क 23
14. लेखन सहायक (Scribe or Amanuensis) की सेवाएं 23
15. पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज 25
16. प्रवेश पत्र 28
17. प्रश्नपत्र 29
18. परीक्षा की प्रणाली 30
19. जेईई (उच्च) 2025 आयोजित किए जाने वाले शहर और नगर 34
20. परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण निर्देश 37
21. अभ्यर्थी की प्रतिक्रियाओं का प्रसारण और उत्तर कुंजी का ऑनलाइन प्रदर्शन 38
22. रैंक सूचियाँ 39
23. जेईई (उच्च) 2025 के परिणाम 41
24. बी.आर्क. पाठ्यक्रम के लिए वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट) 42

भाग – III: प्रवेश 45

25. कक्षा XII के समकक्ष मान्य परीक्षाएं 47
26. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन 47
27. संयुक्त सीट आवंटन 51

28. **पूर्व-तैयारी (Preparatory) पाठ्यक्रम 52**

29. **निश्चित पाठ्यक्रमों हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं 53**

30. **खनन अभियांत्रिकी व्यवसाय पाठ्यक्रमों के लिए महिला अभ्यर्थी प्रतिबंध....................... 53**

31. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा 2024-25 में चलाए गए पाठ्यक्रमों की सूची 54**

32. **महत्वपूर्ण तिथियाँ....................... 54**

33. **प्रश्न/शिकायतें 54**

34. **हिंदी सूचना विवरणिका....................... 54**

अनुलग्नक 55

अनुलग्नक I : पाठ्यचर्या 57

रसायन विज्ञान....................... 59

गणित....................... 66

भौतिकी....................... 69

वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा....................... 72

अनुलग्नक II : प्रमाणपत्रों के प्रारूप 73

फॉर्म - सामान्य- ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) 75

फॉर्म-ओ.बी.सी.-एन.सी.एल. 76

फॉर्म-एस.सी./एस.टी. 79

फॉर्म-पी.डब्ल्यू.डी. (II) 80

फॉर्म-पी.डब्ल्यू.डी. (III) 81

फॉर्म-पी.डब्ल्यू.डी. (IV)....................... 83

फॉर्म- डिस्लेक्सिक -1 85

फॉर्म- डिस्लेक्सिक -2....................... 86

फॉर्म – दिव्यांगता एवं लिखने में कठिनाई 87

फॉर्म – डी.एस....................... 88

फॉर्म – लेखन सहायक (AMANUENSIS)-I 89

फॉर्म – लेखन सहायक (AMANUENSIS)-II....................... 90

फॉर्म- अनुपूरक समय-I....................... 91

फॉर्म- अनुपूरक समय-II....................... 92

स्कूल बोर्ड द्वारा जारी शीर्ष 20 प्रतिशतक स्कोर प्रमाणपत्र 93

अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा........94

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा....................... 95

सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर (GEN-EWS) वर्ग प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा....96

फॉर्म-विद्ड्रॉन-प्रमाणपत्र....................... 97

फॉर्म- विद्ड्रॉन-शपथपत्र....................... 98

अनुलग्नक III : शैक्षिक वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत पाठ्यक्रम 99

अनुलग्नक IV : महत्वपूर्ण तिथियाँ....................... 107

अनुलग्नक V : क्षेत्र-वार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संपर्क विवरण....................... 109

अनुलग्नक VI : भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्लूपी(सी) संख्या 854/2024 और 17/2025 के आदेश के अनुसार जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण हेतु पात्र संभावित उम्मीदवारों के लिए विवरण 111

भाग-I: संस्थान

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियमों के अनुसार स्थापित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक मंच का निर्माण किया है जो उत्कृष्ट अवसंरचना और सर्वोत्तम बुद्धिजीवियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अनुसंधानों के माध्यम से गतिशील रूप से बढ़ रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संकाय सदस्य और पूर्वछात्र विश्व भर में शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्रों में, अग्रणी स्थान रखते हैं और समाज के सभी वर्गों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में देश भर में कुल तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो विचारों की स्वतंत्रता एवं उत्कृष्टता के प्रयास को प्रोत्साहित करता हो, और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृष्टि और आत्म - अनुशासन विकसित करता हो।
- वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का ठोस आधार निर्मित करना और सक्षम एवं प्रेरित अभियंताओं और वैज्ञानिकों को तैयार करना।
- विद्यार्थियों में उद्यमशीलता के प्रति उत्साह उत्पन्न करना।
- विद्यार्थियों को उत्कृष्ट व्यावसायिकों के रूप में तैयार करना जिससे वे राष्ट्र-निर्माण में योगदान कर सकें।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों (खंड 2: शैक्षणिक कार्यक्रम देखें) में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) [जेईई (उच्च)] के माध्यम से दिए जाते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025 [जेईई (उच्च) 2025] तथा तत्पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया इस विवरणिका में निहित नियमों द्वारा शासित होंगी, जिसे संयुक्त सीट आबंटन प्राधिकरण [Joint Seat Allocation Authority (JoSAA)] (अलग से प्रकाशित) के व्यवसाय नियमों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ें।

तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के ज़ोन,नाम, स्थान एवं संक्षिप्ति

ज़ोन	संस्थान	शहर	संक्षिप्ति
पूर्वी ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	आईआईटीबीबीएस
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर	खड़गपुर	आईआईटीकेजीपी*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद	धनबाद	आईआईटी (आईएसएम)
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई	भिलाई	आईआईटीबीएच
मध्य ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर#	कानपुर	आईआईटीके*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (का.हि.वि.) वाराणसी	वाराणसी	आईआईटी (बीएचयू)
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर	इंदौर	आईआईटीआई
उत्तर-मध्य ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	नई दिल्ली	आईआईटीडी*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू	जम्मू	आईआईटीजेएमयू
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर	जोधपुर	आईआईटीजे
पूर्वोत्तर ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी	गुवाहाटी	आईआईटीजी*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना	पटना	आईआईटीपी
उत्तर ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की	रूड़की	आईआईटीआर*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी	मंडी	आईआईटी मंडी
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़	रोपड़	आईआईटीआरपीआर
दक्षिण ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास	चेन्नै	आईआईटीएम
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद	हैदराबाद	आईआईटीएच*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड	पालक्काड	आईआईटीपीकेडी
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति	तिरुपति	आईआईटीटी
पश्चिम ज़ोन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई	मुंबई	आईआईटीबी*
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड	धारवाड	आईआईटीडीएच
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर	गांधीनगर	आईआईटीजीएन
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा	गोवा	आईआईटीगोवा

* जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा आयोजित करने वाले आंचलिक समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

\# आयोजक संस्थान, जेईई(उच्च) 2025 परीक्षा

2. शैक्षणिक कार्यक्रम

जेईई (उच्च) परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अभियांत्रिकी, विज्ञान या वास्तुकला में स्नातक, एकीकृत स्नातकोत्तर या स्नातक-स्नातकोत्तर दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करते हैं । पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की अवश्यकताओं को सफलता पूर्वक पूरा करने पर दोहरी डिग्री कार्यक्रम में नामांकित अभ्यिर्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं । कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों को बी.टेक. (ऑनर्स) और/अथवा माइनर्स सहित बी.टेक. का विकल्प भी दिया गया है। दोहरी डिग्री वाले विद्यार्थी एक माइनर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बी.टेक. विद्यार्थियों को अपने मूल विभाग में स्नातक तथा किसी अन्य विभाग में निष्णात के साथ अंतर्विषयक दोहरी डिग्री प्राप्त करने का विकल्प भी है। उपर्युक्त सभी विकल्पों के लिए संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी कुछ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रदान किए गए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रकार और उनकी न्यूनतम अवधि नीचे दी गई हैं*:

बी.टेक.	प्रौद्योगिकी में स्नातक	4 वर्षीय
बी.एस.	विज्ञान में स्नातक	4 वर्षीय
बी.आर्क.	वास्तुकला में स्नातक	5 वर्षीय
दोहरी डिग्री - बी.टेक.- एम.टेक.	प्रौद्योगिकी में स्नातक एवं प्रौद्योगिकी में निष्णात दोहरी डिग्री	5 वर्षीय
दोहरी डिग्री बी.एस.-एम.एस.	विज्ञान में स्नातक एवं विज्ञान निष्णात दोहरी डिग्री	5 वर्षीय
एकीकृत एम.टेक.	प्रौद्योगिकी में निष्णात (एकीकृत)	5 वर्षीय
एकीकृत बी. एस. – एम. एस.	विज्ञान में स्नातक एवं विज्ञान में निष्णात (एकीकृत)	5 वर्षीय
दोहरी डिग्री बी. टेक.-एम. बी. ए.	प्रौद्योगिकी में स्नातक एवं व्यवसाय प्रशासन में निष्णात दोहरी डिग्री	5 वर्षीय
दोहरी डिग्री बी.एस.-एम. बी. ए.	विज्ञान में स्नातक एवं व्यवसाय प्रशासन में निष्णात दोहरी डिग्री	5 वर्षीय

**यहाँ केवल उन्हीं शैक्षणिक कार्यक्रमों को दिया गया है जिनमें प्रवेश जेईई (उच्च) परीक्षा पर आधारित है। इन संस्थानों में अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम भी हैं जैसे बी.डेस., एम. टेक., एम.एससी., संयुक्त एम.एससी-पीएच.डी., संयुक्त एम.टेक.-पीएच.डी., एम.डेस., पीएच.डी. आदि जिसके अलग-अलग प्रवेश प्रक्रिया एवं मानदंड हैं जो जेईई (उच्च) के अंतर्गत नहीं आते हैं ।*

हालांकि सूचीबद्ध किए गए सभी कार्यक्रम और पाठ्यक्रम सभी संस्थानों में उपलब्ध नहीं हैं । शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत संबद्ध कार्यक्रम और पाठ्यक्रम अनुलग्नक – III (शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत

पाठ्यक्रम) में दिए गए हैं । शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की घोषणा JoSAA 2025 द्वारा सीटों के आवंटन (अर्थात, प्रवेश हेतु विकल्पों को भरते समय) के समय की जाएगी । शैक्षणिक वर्ष साधारणतः जुलाई में शुरू हो कर अगले वर्ष के जून में समाप्त होता है।

ये कार्यक्रम क्रेडिट आधारित हैं और इस प्रकार अभ्यर्थी को अपनी गति से आगे बढ़ने की सुविधा मिलती है। संतोषजनक प्रगति के लिए न्यूनतम स्तर के निष्पादन की आवश्यकता होती है। सभी कार्यक्रमों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है ।

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले समस्त भारतीय नागरिक [खंड 11देखें] जेईई (उच्च) 2025 में बैठ सकते हैं। कक्षा XII (या समतुल्य) के निष्पादन मानदंडों (खंड 26 को देखें) को पूरा करने वाले सफल अभ्यर्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। सीटों का आवंटन करते समय, अभ्यर्थी की योग्यता, वर्ग और/अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार नीतियों का पालन किया जाता है। विदेशी नागरिक अभ्यर्थी और भारत के विदेशी नागरिक / भारतीय मूल के व्यक्ति (ओसीआई/पीआईओ) अभ्यर्थी भी जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा दे सकते हैं । उनके लिए पात्रता मानदंड का विवरण https://jeeadv.ac.in/foreign.html पर उपलब्ध है ।

3.सीटों का आरक्षण

भारत सरकार के नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों के भारतीय नागरिकों को उनके लिए आरक्षित सीटों के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है । आरक्षण की श्रेणी एवं उनकी सीमाएं निम्नानुसार है:

- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (GEN-EWS) के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 10% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है । इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 17 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20013/01/2018-BC-II में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं।
    - सामान्य- ईडबल्यूएस (GEN-EWS) के लिए आरक्षण मानदंड, वर्तमान मानदंडों और/या भारत सरकार के अधिसूचनाओं के अनुसार होंगे ।
- अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 27% सीटें आरक्षित हैं ।
    - ओबीसी अभ्यर्थी, ओबीसी की वर्तमान अद्यतन सूची (http://www.ncbc.nic.in) में शामिल होना चाहिए ।

   - ऐसे ओबीसी अभ्यर्थी, जो राज्यसूची में विद्यमान हैं परंतु ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किए गए हैं (http: //www.ncbc.nic.in की सूची के अनुसार), आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं ।
   - ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर (OBC-NCL) के लिए मानदंड भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग-क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं । ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी (GEN) के अंतर्गत अर्थात अनारक्षित माना जाता है, और वे केवल सामान्य सीटों के लिए पात्र होंगे, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी पात्र हैं ।
- अनुसूचित जाति (SC) – प्रत्येक पाठ्यक्रम में 15% सीटें ।
- अनुसूचित जनजाति (ST) – प्रत्येक पाठ्यक्रम में 7.5% सीटें ।
   - आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को दिया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा http://socialjustice.nic.in और http://www.ncst.nic.in में प्रकाशित उन राज्यों से (प्रदेशों से) संबंधित केंद्रीय सूची में हैं ।
- कम से कम 40% अशक्तता के साथ दिव्यांगजन (PwD) - प्रत्येक वर्ग में अर्थात ओपेन, सामान्य-ईडबल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल, एससी, और एसटी श्रेणी के सीटों में 5% सीटें ।

  (https://depwd.gov.in/acts/).)
   - कम से कम 40% अशक्तता वाले अभ्यर्थी चाहे अशक्तता का प्रकार कुछ भी हो, अर्थात लोकोमोटर, विजुअल अथवा गंभीर डिस्लेक्सिया, पीडब्ल्यूडी उप-श्रेणी के लाभ के लिए पात्र होंगे ।
   - कुष्ठरोग से मुक्त अभ्यर्थी जो अन्यथा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें भी इस पीडबल्यूडी उप-श्रेणी में शामिल किया गया है |
- सामान्य-ईडबल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी और पीडबल्यूडी श्रेणियों / उप-श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार मानदंड में दी गई छूट (खंड 22: रैंक सूची देखें) के आधार पर योग्य घोषित किया जाएगा ।

अभ्यर्थी द्वारा डाटाबेस में प्रविष्ट की गई श्रेणी, जो जेईई एपेक्स बोर्ड [जो जेईई (मुख्य) 2025 परीक्षा संचालित करता है] द्वारा उपलब्ध की जाएगी, वही जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा में अंतिम रूप में मानी जाएगी तथा श्रेणी में परिवर्तन / बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी ध्यान दें कि आरक्षण का लाभ उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन (और पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए किसी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अतिरिक्त प्रत्यक्ष सत्यापन) के आधार पर दिया जाएगा । यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आरक्षण का लाभ उठाने के लिए

झूठे /नकली/गलत दस्तावेज का उपयोग किया है, या गलत/अधूरी जानकारी दी है तो ऐसे अभ्यर्थी को सभी प्रवेश प्रक्रियाओं से वंचित कर दिया जाएगा । यदि ऐसे अभ्यर्थी को पहले ही प्रवेश दिया जा चुका है तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा ।

4.रक्षा सेवा के अभ्यर्थी

रक्षा सेवा [Defense Service (DS)] श्रेणी के अभ्यर्थी, रक्षा/अर्द्धसैनिक कार्मिकों की संतान हैं, जो युद्ध / शांतिमय समय के दौरान मारे गए या स्थायी रूप से अशक्त हो गए हों[1] । रक्षा सेवा श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक संस्थान में अधिमानी आवंटन हेतु दो सीटें उपलब्ध होती हैं। इस अधिमानी आवंटन का लाभ प्राप्त करने के लिए, डीएस श्रेणी के अभ्यर्थी को जेईई (उच्च) 2025 की सामान्य रैंक सूची में स्थान प्राप्त करना आवश्यक है (खंड 22: रैंक सूची देखें)।

5. महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिसंख्य सीटें

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार[2] के निर्देशानुसार तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के निर्णयानुसार लिंग संतुलन में सुधार हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों में महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिसंख्य सीटों का सृजन किया गया है। ऐसी अधिसंख्य सीटें

(a) केवल उन महिला अभ्यर्थियों [भारतीय नागरिकों या ओसीआई/पीआईओ (I) (जिसे नीचे खंड-6.2 में स्पष्ट किया गया है)] को प्रदान की जायेंगी जिन्हें जेईई (उच्च) 2025 में योग्य घोषित किया गया हो, तथा

(b) केवल जेईई (उच्च) 2025 में प्रदर्शन के आधार पर।

विभिन्न कार्यक्रमों में अधिसंख्य सीटों की संख्या प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इस तरह से सुनिश्चित की जाएगी कि प्रत्येक संस्थान में स्नातक-पूर्व कार्यक्रमों (प्रोग्रामों) में कम से कम 20% महिला नामांकन हो । उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया JoSAA 2025 के व्यवसाय नियमों में (जो https://josaa.nic.in में उपलब्ध होगा) दी जायेगी ।

6. विदेशी नागरिक एवं ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी

6.1. विदेशी नागरिक

वे अभ्यर्थी, जो भारत के नागरिक **नहीं** हैं (जन्म से या राष्ट्रीयता से), विदेशी नागरिक माने जायेंगे । ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 10% अधिसंख्य सीमा में सीट आबंटित किए जायेंगे । ये उम्मीदवार यहां निर्दिष्ट जानकारी के अनुसार जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल, एससी,

[1] सं. 321/प्रशा./विविध/खंड-I, दिनांक 22 अक्तूबर, 2020

[2] संदर्भ: एफ.नं.35-8/2017-टीएस.III दिनांक 30 अक्तूबर, 2017

एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों/उप-श्रेणियों के तहत सीटों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। विदेशी राष्ट्रीय अधिसंख्य सीटों में महिलाओं के लिए कोई अलग अधिसंख्य सीटें या उप-श्रेणी नहीं हैं।

विदेशी नागरिकों को जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करते समय जेईई (मुख्य) 2025 में बैठने की आवश्यकता नहीं है तथा वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर जेईई (उच्च) 2025 के लिए सीधे पंजीकरण कर सकते हैं। (विदेशी नागरिक, विस्तृत जानकारी के लिए लिंक https://www.jeeadv.ac.in/foreign.html देखें।)

6.2 ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी

ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थियों के संबंध में हालिया न्यायिक घोषणा के आलोक[3] में, ऐसे उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।

ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी जिन्होंने 04.03.2021 से पहले अपने ओसीआई/पीआईओ कार्ड प्राप्त कर लिए हैं, उनके पास जेईई (उच्च) 2025 के लिए या तो (a) विदेशी नागरिकों के रूप में अथवा (b) भारतीय नागरिकों के समतुल्य, आवेदन करने का विकल्प है। तदनुसार, ओसीआई/पीआईओ उम्मीदवारों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(i) ऐसे ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी जिन्होंने 04.03.2021[4] के बाद अपने ओसीआई/पीआईओ कार्ड प्राप्त किए हैं, उन्हें विदेशी नागरिक अभ्यर्थी माना जाएगा और वे विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों के लिए यहां निहित पात्रता शर्तों द्वारा शासित होंगे (खंड 11 देखें) । सुविधा के लिए इन अभ्यर्थियों को **ओसीआई/पीआईओ (एफ)** के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। ओसीआई/पीआईओ (एफ) अभ्यर्थी केवल विदेशी अधिसंख्य सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र होंगे।

(ii) ऐसे ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी जिन्होंने 04.03.2021 से पहले अपने ओसीआई/पीआईओ कार्ड प्राप्त कर लिए हैं और विदेशी नागरिक माने जाने का विकल्प चुना है, वे विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों के लिए यहां निहित पात्रता शर्तों द्वारा शासित होंगे और उन्हें भी **ओसीआई/पीआईओ (एफ)** के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा (खंड 11 देखें)। ओसीआई/पीआईओ (एफ) अभ्यर्थी केवल विदेशी अधिसंख्य सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र होंगे।

---

[3] संदर्भ: रिट याचिका (सिविल) संख्या 12263/2024 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16 अक्टूबर 2024

[4] संदर्भ: रिट याचिका (सिविल) संख्या 891/2021 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03 फरवरी, 2023

(iii) ऐसे ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी जिन्होंने 04.03.2021 से पहले अपने ओसीआई/पीआईओ कार्ड प्राप्त कर लिए हैं **और** भारतीय नागरिकों के समतुल्य माने जाने का विकल्प चुना है, वे भारतीय नागरिक अभ्यर्थियों के लिए यहां निहित पात्रता शर्तों द्वारा शासित होंगे और उन्हें **ओसीआई/पीआईओ (आई)** के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा (खंड 11 देखें) ।

सीट आवंटन के समय, ओसीआई/पीआईओ (आई) अभ्यर्थियों का ओपन और/या ओपन-पीडब्ल्यूडी श्रेणी की सीटों के लिए विचार किया जाएगा। इन ओसीआई/पीआईओ (आई) अभ्यर्थियों को सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) और/या सीआरएल-पीडब्ल्यूडी सूची के साथ-साथ महिला अधिमान्य सीटों के लिए भी, जैसा लागू हो, जेईई (उच्च) 2025 में अर्हता प्राप्त करने के अधीन शामिल किया जाएगा।

ओसीआई/पीआईओ (आई) और ओसीआई/पीआईओ (एफ) अभ्यर्थी सीटों के आवंटन के लिए जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल, एससी या एसटी श्रेणियों के तहत आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं हैं।

ऐसे ओसीआई/पीआईओ अभ्यर्थी जिन्होंने 04.03.2021 से पहले अपने ओसीआई/पीआईओ कार्ड प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना विकल्प (ओसीआई/पीआईओ (आई) या ओसीआई/पीआईओ (एफ)) सावधानी से चुनें। इन अभ्यर्थियों को जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करते समय अपना विकल्प चुनना होगा। एक बार चुने गए विकल्प को बाद के किसी भी चरण में बदला नहीं जा सकता।

अभ्यर्थी खंड 15 को देखें और जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करते समय सही और पूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।

यदि यह पता चलता है कि किसी ओसीआई/पीआईओ उम्मीदवार ने अपने जेईई (मुख्य) क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके जेईई (उच्च) 2025 के लिए आवेदन किया है और सीधे पंजीकरण के माध्यम से ओसीआई/पीआईओ (एफ) के रूप में भी आवेदन किया है, तो ऐसे मामलों को अनुचित साधनों के प्रयोग के रूप में माना जाएगा तथा उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।

7. जेईई (उच्च) रैंक के आधार पर प्रवेश प्रदान करने वाले अन्य संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अलावा, कुछ अन्य संस्थान भी जेईई (उच्च) रैंक का उपयोग करके छात्रों को प्रवेश देते हैं। गतवर्षों में, कुछ केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान (नीचे सूचीबद्ध) जिन्होंने जेईई (उच्च) रैंक का उपयोग किया, उनमें शामिल हैं:

- भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु

- भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (IISERs), जो बरहामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम तथा तिरुपति में स्थित हैं ।
- भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST), तिरुवनंतपुरम
- राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (RGIPT), रायबरेली
- भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (IIPE), विशाखापट्टनम

अभ्यर्थी प्रवेश से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए उपरोक्त संस्थानों से सीधे संपर्क करें ।

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

भाग-II: परीक्षा

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

8. परीक्षा

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025 [जेईई (उच्च) 2025] का आयोजन संयुक्त प्रवेश बोर्ड 2025 [Joint Admission Board (JAB 2025)] के मार्गदर्शन में सात आंचलिक समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाएगा । जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रदर्शन सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए खंड 2 में उल्लिखित स्नातक, एकीकृत परास्नातक और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों में (10 + 2 स्तर पर प्रवेश) प्रवेश का आधार बनेगा । जेईई (उच्च) 2025 और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश से संबंधित सभी मामलों में JAB 2025 के निर्णय अंतिम होंगे ।

9. जेईई (उच्च) 2025 की अनुसूची

परीक्षा में दो प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र 1 एवं प्रश्नपत्र 2) होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि तीन घंटे होगी । **दोनों प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है**। परीक्षा की समय-सारणी इस प्रकार है |

परीक्षा तिथि	**18 मई 2025 (रविवार)**
प्रश्नपत्र 1	09:00 बजे से 12:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार)
प्रश्नपत्र 2	14:30 बजे से 17:30 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार)

ज्ञात हो कि सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा तिथि अपरिवर्तित रहेगी।

कम से कम 40% विकलांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार, यथा लागू, प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए एक घंटे का प्रतिपूरक समय पाने के पात्र हैं (अर्थात इन अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्र 1 के लिए अंतिम समय 13:00 बजे और प्रश्नपत्र 2 के लिए 18:30 बजे होगा) ।

हालाँकि, उन्हें प्रतिपूरक समय का लाभ प्राप्त करने के लिए और / या एक लेखन सहायक (Scribe या Amanuensis) की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण के दौरान ही आवश्यक फॉर्म भरना होगा [संलग्नक- II : प्रमाण पत्रों के प्रारूप देखें]। कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए खंड 14 एवं खंड 15 देखें।

जिन अभ्यर्थियों की 40 प्रतिशत से कम अक्षमता हो और जिनको लिखने में कठिनाई महसूस हो, जो आर पीडब्ल्यूडी अधिनियम (RPwD Act), 2016 की धारा 2 (एस) के अंतर्गत आते हों, परंतु उसी अधिनियम की धारा 2 (आर) के अंतर्गत नहीं आते हों, वे प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए एक घंटे का प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे (अर्थात उन अभ्यर्थियों के लिए भी अंतिम समय प्रश्नपत्र 1 के लिए 13:00 बजे और प्रश्नपत्र 2 के लिए 18:30 बजे होगा)। हालाँकि उन्हें पंजीकरण के दौरान प्रतिपूरक समय पाने और किसी लेखन सहायक (अमनुएन्सिस) की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र [संलग्नक – II: प्रमाण-

पत्रों के प्रारूप देखें] भरकर जमा करना होगा । कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए खंड 14 और खंड 15 भी देखें ।

10. जेईई (मुख्य) 2025

जो भारतीय नागरिक जेईई (उच्च) 2025 में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए बी.ई./बी.टेक. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा संचालित जेईई(मुख्य) 2025 में शामिल होना अनिवार्य है । यह ओसीआई/पीआईओ (आई)[5] अभ्यर्थियों पर भी लागू होता है।
जेईई(मुख्य) 2025 के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
वे विदेशी नागरिक तथा ओसीआई/पीआईओ (एफ) **जिन्होंने** 10+2 **स्तर तक या समकक्ष भारत/विदेश में अध्ययन किया हो या अध्ययन कर रहे हों** और जेईई(उच्च) 2025 में शामिल होना चाहते हों**,** उन्हें जेईई(मुख्य) 2025 में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

11. जेईई (उच्च) 2025 में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड

(A) भारतीय नागरिकों और ओसीआई/पीआईओ (आई)[5] के लिए पात्रता मानदंड

जेईई (उच्च) 2025 में भाग लेने के लिए सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित पाँच मानदंडों में से प्रत्येक को एक साथ पूरा करना होगा ।

मानदंड A1: जेईई (मुख्य) 2025 में प्रदर्शन

अभ्यर्थी को जेईई (मुख्य) 2025 के बी.ई./ बी.टेक. प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण शीर्ष 2,50,000* (सभी श्रेणियों सहित) में शामिल होना चाहिए ।

शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिशत इस प्रकार है: सामान्य –ईडब्ल्यूएस [GEN (EWS)] 10%, ओबीसी-एन सी एल (OBC-NCL) के लिए 27%, एससी (SC) के लिए 15%, एसटी (ST) के लिए 7.5%, और शेष 40.5% सभी के लिए खुला है। इन पांच श्रेणियों में से प्रत्येक में पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 5% क्षैतिज (horizontal) आरक्षण उपलब्ध है ।

निम्नलिखित तालिका जेईई (मुख्य) 2025 के बी.ई./बी.टेक. के प्रश्नपत्र में प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 2,50,000 अभ्यर्थियों का चयन करते समय पालन किए जाने वाले क्रम को दर्शाती है।

[5] खंड 6.2 देखें

शीर्ष 2,50,000* अभ्यर्थियों का श्रेणी-वार वितरण इस प्रकार है (मानदंड A1)

क्रम सं.	श्रेणी	'शीर्ष' अभ्यर्थियों की संख्या	
1	ओपेन	96187	101250
2	ओपेन – दिव्यांग	5063	
3	सामान्य –आर्थिक रूप से कमजोर	23750	25000
4	सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर - दिव्यांग	1250	
5	अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर	64125	67500
6	अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर - दिव्यांग	3375	
7	अनुसूचित जाति	35625	37500
8	अनुसूचित जाति - दिव्यांग	1875	
9	अनुसूचित जनजाति	17812	18750
10	अनुसूचित जनजाति - दिव्यांग	938	

**किसी भी श्रेणी में "सहबद्ध" रैंक / स्कोर होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2,50,000 से थोड़ी अधिक हो सकती है।*

ओसीआई/पीआईओ **(**आई) उम्मीदवार ओपन-पीडब्ल्यूडी को छोड़कर किसी भी प्रकार के आरक्षण **(**जैसे**,** जनरल-ईडब्ल्यूएस**,** ओबीसी-एनसीएल**,** एससी**,** एसटी) के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। अर्थात्**,** उपरोक्त तालिका में क्रम संख्यायें **(3)** से (**10)** ऐसे ओसीआई/पीआईओ (आई) अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं हैं और इन अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के रैंक सूची में क्रमांक 1 और/या 2 में होना आवश्यक है ।

<u>मानदंड A2 : आयु सीमा</u>

अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर, 2000 को या उसके बाद होना चाहिए । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात इन अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर, 1995 को या उसके बाद होना चाहिए ।

<u>मानदंड A3 : प्रयासों की संख्या</u>

अभ्यर्थी लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार जेईई (उच्च) के लिए प्रयास कर सकते हैं ।

<u>मानदंड A4 : कक्षा XII (अथवा समतुल्य) परीक्षा में उपस्थिति*</u>

अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 2024 या 2025 में पहली बार बारहवीं कक्षा (या समतुल्य) परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए ।

जो अभ्यर्थी वर्ष 2023 अथवा इससे पूर्व कक्षा XII (अथवा समकक्ष) परीक्षा में पहली बार शामिल हुए, वे प्रयास/प्रेषित किए गए विषयों के संयोजन के बावजूद जेईई (उच्च) 2025 में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हैं |

** बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) की परीक्षा में बैठने का अर्थ है कि संबंधित बोर्ड ने उस वर्ष के लिए परिणाम घोषित कर दिया हो, भले ही परीक्षा आयोजित की गई हो या नहीं। यदि किसी विशेष अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जाता है तो भी उसे उपस्थित माना जाएगा।*

हालाँकि, यदि बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए परिणाम 28 जून 2023 को या उसके बाद घोषित किया हो, तो उस बोर्ड के वे अभ्यर्थी जो 2023 में अपनी कक्षा बारहवीं (या समकक्ष) की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों । यदि बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के परिणाम 28 जून 2023 से पहले घोषित कर दिए, लेकिन किसी विशेष अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया गया, तब वह अभ्यर्थी जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा ।

मानदंड A3 और A4 के अपवाद

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 854/2024 और 17/2025 में 10.01.2025 को एक निर्देश पारित किया है, जिसमें उन उम्मीदवारों को जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिन्होंने 05.11.2024 से 18.11.2024 के बीच अपने पाठ्यक्रमों से नाम वापस ले लिया है और पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसे सभी संभावित उम्मीदवार जो इस प्रकार जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करने के पात्र हो जाते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए **अनुलग्नक VI** देखें।

मानदंड A5 : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पूर्व में लिया गया प्रवेश

अभ्यर्थी द्वारा 2024 के जोसा बिजनेस रूल्स में सूचीबद्ध किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश **नहीं** लिया होना चाहिए, भले ही अभ्यर्थी ने कार्यक्रम जारी रखा हो या नहीं अथवा अतीत में "ऑनलाइन"/"रिपोर्टिंग केन्द्र" पर रिपोर्ट करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीट

स्वीकार कर ली हो। किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के बाद जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश (किसी भी कारण से) निरस्त कर दिया गया था, वे भी जेईई (उच्च) 2025 में पंजीकरण के पात्र नहीं हैं|

अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम बार 2024 में किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्व-तैयारी (Preparatory) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, वे जेईई (उच्च) 2025 में शामिल हो सकते हैं ।

जिन अभ्यर्थियों को JoSAA 2024 के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीट आबंटित की गई थी लेकिन (i) उन्होंने किसी भी "रिपोर्टिंग केन्द्र (reporting centre)" या "ऑनलाइन" माध्यम से सूचना नहीं दी हो, अथवा (ii) सीट आवंटन के अंतिम दौर (last round)से पहले उन्होंने नाम वापस लिया हो अथवा (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए सीट आवंटन के अंतिम दौर से पहले उनकी सीट (किसी भी कारण से) रद्द कर दी गई, वे जेईई (उच्च) 2025 में शामिल होने के पात्र हैं।

तथापि, उक्त किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को **मानदंड A1** से **मानदंड A4** तक सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है ।

(B) विदेशी नागरिकों और ओसीआई/पीआईओ (एफ) के लिए पात्रता मानदंड

जो अभ्यर्थी (i) भारत के नागरिक नहीं हैं (जन्म से या नागरिकता से) और (ii) ऊपर बताए अनुसार ओसीआई/पीआईओ (एफ) अभ्यर्थी हैं (खंड 6 देखें), उन्हें विदेशी नागरिक माना जाएगा।

जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करते समय विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों को जेईई (मुख्य) 2025 लिखने की आवश्यकता नहीं है और वे नीचे उल्लिखित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर सीधे जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

सभी विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों को उन 2,50,000 भारतीय नागरिक अभ्यर्थियों के अतिरिक्त माना जाएगा, जो जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

विदेशी नागरिक को आबंटित सभी सीटें प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की कुल संख्या के 10% की सीमा के साथ अतिरिक्त होंगी। ये अभ्यर्थी जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों/उप-श्रेणियों के अंतर्गत सीटों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। विदेशी नागरिक अधिसंख्य सीटों में महिलाओं के लिए कोई अलग उप-श्रेणी या अधिसंख्य सीटें नहीं हैं।

पहचान प्रमाण

अभ्यर्थी का पहचान प्रमाण, नागरिकता प्रमाणपत्र/विदेशी पासपोर्ट और/या ओसीआई/पीआईओ कार्ड, जहां लागू हो, के रूप में आवश्यक है।

जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड

वे अभ्यर्थी जो (i) भारत के नागरिक नहीं हैं (जन्म से या नागरिकता से) और (ii) ओसीआई/पीआईओ (एफ) उम्मीदवार, जिन्होंने पंजीकरण के समय 10+2 स्तर या समकक्ष भारत/विदेश में अध्ययन किया है या कर रहे हैं, उन्हे जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित चार मानदंडों (**मानदंड B1** से **मानदंड B4**) में से प्रत्येक को एक साथ पूरा करना होगा।

मानदंड B1 : आयु सीमा

अभ्यर्थी का जन्म 1 अक्टूबर 2000 को या उसके बाद होना चाहिए। ऐसे देश जहाँ बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) की परीक्षा से पहले/बाद में एक निश्चित अवधि के लिए सशस्त्र बलों (या संबंधित) में एक निश्चित अवधि के लिए न्यूनतम कार्यकाल अनिवार्य है, अभ्यर्थी को इस निश्चित अवधि की उचित छूट दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र अपलोड करना आवश्यक है।

मानदंड B2 : प्रयासों की संख्या

एक अभ्यर्थी लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार जेईई (उच्च) का प्रयास कर सकता है।

मानदंड B3 : बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थिति*

एक अभ्यर्थी को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 2024 या 2025 में पहली बार बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए।

जो अभ्यर्थी 2023 या उससे पहले पहली बार बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के पात्र नहीं हैं, चाहे प्रयास/प्रस्तावित विषयों के संयोजन या संख्या कुछ भी हो। उन देशों के अभ्यर्थियों को जहां बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) की परीक्षा के बाद एक निश्चित अवधि के लिए सशस्त्र बलों (या संबंधित) में न्यूनतम कार्यकाल अनिवार्य है, उन्हें बारहवीं कक्षा की परीक्षा के वर्ष में उचित छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में, अभ्यर्थी को पंजीकरण के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्र अपलोड करना आवश्यक है।

** बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) की परीक्षा में उपस्थित होने का मतलब है कि संबंधित बोर्ड ने उस वर्ष के लिए परिणाम घोषित कर दिया है, भले ही परीक्षा आयोजित की गई हो या नहीं। किसी विशेष अभ्यर्थी का परिणाम रोके जाने पर भी इसे परीक्षा में उपस्थिति माना जाएगा ।*

हालाँकि, यदि बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के परिणाम 28 जून, 2023 को या उसके बाद घोषित किए हैं, तो उस बोर्ड के अभ्यर्थी जो 2023 में अपनी बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे भी जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। यदि बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के परिणाम 28 जून, 2023 से पहले घोषित कर दिए हैं, लेकिन किसी विशेष उम्मीदवार का परिणाम किसी भी कारण से रोक दिया गया है, तो अभ्यर्थी जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

मानदंड B2 और B3 के लिए अपवाद

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 854/2024 और 17/2025 में 10.01.2025 को एक निर्देश पारित किया है, जिसमें उन उम्मीदवारों को जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिन्होंने 05.11.2024 से 18.11.2024 के बीच अपने पाठ्यक्रमों से नाम वापस ले लिया है और पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसे सभी संभावित उम्मीदवार जो इस प्रकार जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करने के पात्र हो जाते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए **अनुलग्नक VI** देखें।

मानदंड B4 : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पूर्व में लिया गया प्रवेश

अभ्यर्थी द्वारा 2024 के जोसा बिजनेस रूल्स में सूचीबद्ध किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश **नहीं** लिया होना चाहिए, भले ही अभ्यर्थी ने कार्यक्रम जारी रखा हो या नहीं अथवा अतीत में "ऑनलाइन"/"रिपोर्टिंग केन्द्र" पर रिपोर्ट करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीट स्वीकार कर ली हो। किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के बाद जिन अभ्यर्थियों का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश निरस्त (किसी भी कारण से) कर दिया गया था, वे भी जेईई (उच्च) 2025 में पंजीकरण के पात्र नहीं हैं|

जिन उम्मीदवारों को जोसा के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीट आबंटित की गई थी, लेकिन उन्होंने "ऑनलाइन" रिपोर्ट नहीं की या (ii) सीट आवंटन के अंतिम दौर से पहले अपना नाम

वापस ले लिया या (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सीट आवंटन के अंतिम दौर से पहले उनकी सीट (किसी भी कारण से) रद्द कर दी गई थी, वे जेईई (उच्च) 2025 में भाग लेने हेतु पात्र हैं।

हालाँकि, उपरोक्त सभी मामलों में, अभ्यर्थी को **मानदंड B1 से लेकर मानदंड B3** तक में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।

12. जेईई (उच्च) 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

जेईई (उच्च) 2025 में उपस्थित होने के लिए पात्र सभी उम्मीदवारों (खंड 11 देखें) को जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा। यदि बाद में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

पंजीकरण पोर्टल: अभ्यर्थियों को जेईई (उच्च) 2025 के लिए प्रस्तुत होने हेतु पंजीकरण करना होगा । पंजीकरण केवल ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है जहाँ पंजीकरण संबंधी विस्तृत निर्देश प्रदान किए जाएँगे।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल	https://jeeadv.ac.in
ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ	23 अप्रैल 2025 (बुधवार, 10:00 भारतीय मानक समयानुसार)
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि	02 मई 2025 (शुक्रवार, 17:00 भारतीय मानक समयानुसार)
पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए शुल्क भुगतान के लिए अंतिम तिथि	05 मई 2025 (सोमवार, 17:00 भारतीय मानक समयानुसार)

13. जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण शुल्क

जो अभ्यर्थी जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

भारत में परीक्षा केंद्रों के लिए पंजीकरण शुल्क		
भारतीय नागरिक	महिला अभ्यर्थी (सभी श्रेणी)	₹ 1600
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी	₹ 1600
	अन्य सभी अभ्यर्थी	₹ 3200
ओसीआई/पीआईओ (आई)[6] अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी (सामान्य और सामान्य-दिव्यांग)	₹ 1600
	ओपेन (सामान्य-दिव्यांग)	₹ 1600
	ओपेन (सामान्य)	₹ 3200
विदेशी नागरिक और ओसीआई/पीआईओ (एफ)[6] अभ्यर्थी	सार्क (SAARC) देशों में रहने वाले अभ्यर्थी	USD 100#
	गैर सार्क (Non-SAARC) देशों में रहने वाले अभ्यर्थी	USD 200#

#अथवा भारतीय रुपए में समकक्ष

विदेश में परीक्षा केंद्रों के लिए पंजीकरण शुल्क		
भारतीय नागरिक और ओसीआई/पीआईओ (आई) अभ्यर्थी	सभी अभ्यर्थी	USD 150#
विदेशी नागरिकऔर ओसीआई/पीआईओ (एफ) अभ्यर्थी	सार्क (SAARC) देशों में रहने वाले अभ्यर्थी	USD 150#
	गैर सार्क (Non-SAARC) देशों में रहने वाले अभ्यर्थी	USD 250#

#अथवा भारतीय रुपए में समकक्ष

- ऊपर दिखाए गए पंजीकरण शुल्क में सेवा शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और भुगतान गेटवे/बैंक द्वारा लगाए जाने वाले कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। एक बार भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क अप्रतिदेय तथा अहस्तांतरणीय है। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपने खर्चे पर पहुंचना होगा तथा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- पंजीकरण शुल्क के भुगतान से संबंधित विस्तृत निर्देश जेईई (उच्च) 2025 ऑनलाइन पंजीकरण के समय ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध किए जाएंगे।

[6] खंड 6.2 देखें

14. लेखन सहायक (Scribe or Amanuensis) की सेवाएँ

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय[5] के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो दृष्टिबाधित हैं या डिस्लेक्सिक (गंभीर) हैं या जिनके ऊपरी अंगों में अशक्तता है या जिन्होंने उंगलियां/हाथ खो दिए हैं, जिसके कारण उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्लेटफॉर्म को ठीक से संचालित करने में दिक्कत हो रही है, एक लेखन सहायक की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं ।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता[8] मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 40% से कम अशक्तता वाले और लिखने में कठिनाई रखने वाले अभ्यर्थी लेखन सहायक (scribe) की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये अभ्यर्थी भी नीचे खंड 15 द्वारा शासित होंगे । इन अभ्यर्थियों को चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपेक्षित प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा।

- जो अभ्यर्थी लेखन सहायक की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जेईई (उच्च) 2025 के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान इसका विकल्प चुनना होगा।
- अभ्यर्थी के निर्देशों के अनुसार लेखन सहायक केवल प्रश्नों को पढ़ने और/या उत्तर लिखने में अभ्यर्थी की मदद करेंगे । लेखन सहायक न तो प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और न ही कोई समाधान सुझाएँगे ।
- लेखन सहायक की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, अभ्यर्थी को निकटतम क्षेत्रीय समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025, को, निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म – लेखन सहायक-I/ फॉर्म – लेखन सहायक-II, जो भी लागू हो]) में अनुरोध करना होगा । उक्त माँग, पीडब्ल्यूडी प्रमाण-पत्र सहित [फॉर्म-पीडब्ल्यूडी(II]/ फॉर्म-पीडब्ल्यूडी(III)/ फॉर्म-पीडब्ल्यूडी(IV), जो भी लागू हो] अथवा डिस्लेक्सिक प्रत्याशी के प्रमाण पत्र की प्रति [फॉर्म- डिस्लेक्सिक-1 और डिस्लेक्सिक-2, जो भी लागू हो], अथवा प्रमाण-पत्र (फॉर्म - दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई) की प्रति (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आच्छादित निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत आच्छादित नही वाले अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले अभ्यर्थियों को) जेईई (उच्च) 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड किए जाने हैं। अनुरोध पत्र का प्रारूप और 40% से कम दिव्यांगता तथा लिखने में कठिनाई वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक- II: प्रमाण पत्र प्रारूप में दिए गए हैं।
- क्षेत्रीय समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, परीक्षा केंद्र के टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर (TCA) के माध्यम से लेखन सहायक का एक पैनल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। लेखन

---

[7] संदर्भ: एफ.सं. 34-02/2015-डी डी-III दिनांक अगस्त 29, 2018
[8] संदर्भ: एफ.सं. 29-6/2019-डी डी-III दिनांक अगस्त 10, 2022

सहायक साइंस स्ट्रीम के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र होंगे जिनमें गणित एक विषय होगा। पीडब्ल्यूडी / डिस्लेक्सिक (गंभीर) / 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले अभ्यर्थियों को इस पैनल से एक लेखन सहायक का चयन करना होगा । अभ्यर्थियों को अपना लेखन सहायक लाने की अनुमति नहीं होगी।

- अभ्यर्थी को परीक्षा से एक दिन पहले अर्थात 17 मई 2025 (शनिवार) को आई.आई.टी. प्रतिनिधियों (IR), टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर (TCA), और एक निरीक्षक की उपस्थिति में ही लेखन सहायक के पैनल से मिलने तथा लेखन सहायक को चुनने की अनुमति दी जाएगी।

  o *यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने लेखन सहायक की सेवाओं का लाभ उठाया है और/अथवा अनुपूरक समय का लाभ उठाया है, लेकिन वह दिव्यांगता के उस नियत दायरे में नहीं आता है और जिसे लेखन में कोई कठिनाई नहीं है और उसके बाद भी लेखन सहायक के उपयोग या अनुपूरक समय प्रदान करने का अधिकार प्रकट करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को मूल्यांकन, रैंकिंग और प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी पहले ही किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।*

15. पंजीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेज़

जेईई (उच्च) 2025 के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड किए जाने वाले स्कैन किये हुए दस्तावेज़ / प्रमाणपत्र की सूची निम्नांकित है। प्रमाणपत्रों के प्रारूप**,** जिन्हें कोष्ठकों में अंकित किया गया है, उन्हें अनुलग्नक **II:** प्रमाणपत्र प्रारूप में दिया गया है।

ध्यान दें कि जब अभ्यर्थी जोसा (JoSAA) के माध्यम से प्रस्तावित सीट को स्वीकार कर लेगा तब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के उद्देश्य से दस्तावेजों का सत्यापन केवल दस्तावेज़ सत्यापनचरण पर किया जाएगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण के समय ही सही और पूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करें।

सभी अभ्यर्थी

- दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, यदि उसमें जन्म तिथि का उल्लेख है, या जन्म प्रमाण-पत्र।
- बारहवीं कक्षा (या समकक्ष परीक्षा) प्रमाण पत्र [उन लोगों के लिए जो 2024 या 2025 में पहली बार इस परीक्षा में शामिल हुए थे या जिनके बोर्ड ने 28 जून 2023 को या उसके बाद शैक्षणिक सत्र 2022-23

का कक्षा बारहवीं (या समकक्ष परीक्षा) का परिणाम घोषित किया था] । यदि वर्ष 2025 के लिए बारहवीं कक्षा (या समकक्ष परीक्षा) की मार्कशीट उपलब्ध है, तो इसे अपलोड करना होगा।

- यदि अभ्यर्थी का नाम दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र के समान नहीं है, तो राजपत्र अधिसूचना जिसमें नाम परिवर्तन दिखाया गया हो ।

सामान्य -ईडबल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी

- सामान्य-ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (फॉर्म- सामान्य-ईडब्ल्यूएस) भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप अप्रैल 01, 2025 या उसके बाद जारी होना चाहिए।
    - यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के समय सामान्य-ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (अप्रैल 01, 2025 को अथवा इसके बाद) प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उम्मीदवार को इस आशय की एक घोषणा [फॉर्म -सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा][9] अपलोड करनी होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी

- अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (फॉर्म – ओबीसी–एनसीएल) जो भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों की पुष्टि के अनुसार अप्रैल 01, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया हो| यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के समय ओबीसी – एनसीएल प्रमाण पत्र (अप्रैल 01, 2025 को या उसके बाद जारी) प्रस्तुत करने में असफल होता है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी को घोषणा पत्र (फॉर्म: अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा) अपलोड करना होगा । नवीनतम दिशा निर्देशों एवं राज्य-वार अन्य पिछड़ा वर्ग की अद्यतन केन्द्रीय सूची के लिए वेबसाइट http://www.ncbc.nic.in देखें ।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी

- भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार जाति (अनुसूचित जाति के लिए) या जनजाति (अनुसूचित जनजाति के लिए) प्रमाण पत्र (फॉर्म – एस.सी./एस.टी.) । यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उस समय उन्हे घोषणा पत्र (फॉर्म: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा) अपलोड करना है ।

[9] संदर्भ: क्रमांक एफ.नंबर 20013/01/2018-बीसी-II

पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी

- अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता संबंधी प्रमाणपत्र [विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) प्रमाणपत्र या फॉर्म-पीडब्ल्यूडी (II)/ फॉर्म-पीडब्ल्यूडी (III)/ फॉर्म-पीडब्ल्यूडी (IV) जो भी लागू हो]।
- डिस्लेक्सिया अभ्यर्थी को प्रपत्र-पीडब्ल्यूडी के बदले फॉर्म- डिस्लेक्सिया 1 और फॉर्म- डिस्लेक्सिया-2 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थी को पीडब्ल्यूडी श्रेणी का लाभ उठाने के लिए प्रमाण पत्र पर "SEVERE" (गंभीर) का उल्लेख होना आवश्यक है ।
- प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रवेश के समय अभ्यर्थी के दिव्यांगता की जाँच करने के लिए चिकित्सा मंडल गठित कर सकता है । ऐसे चिकित्सा मंडल का निर्णय अंतिम होगा और इस आधार पर पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लाभ की अनुमति दी जा सकती है या रोक लगायी जा सकती है। यदि लाभ रोक दिया जाता है, तो संबंधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

अनुपूरक समय चुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए

• दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई दर्शाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति के साथ **फॉर्म-अनुपूरक समय-I/ फॉर्म- अनुपूरक समय-II** (**अनुलग्नक II: प्रमाण पत्र प्रारूप** देखें) भरकर निकटतम आंचलिक समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष को एक पत्र भेजना होगा।

  - *यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने लेखन सहायक की सेवाओं का लाभ उठाया है और/अथवा अनुपूरक समय का लाभ उठाया है, लेकिन वह दिव्यांगता के उस नियत दायरे में नहीं आता है और जिसे लेखन में कोई कठिनाई नहीं है और उसके बाद भी लेखन सहायक के उपयोग या अनुपूरक समय प्रदान करने का अधिकार प्रकट करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को मूल्यांकन, रैंकिंग और प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी पहले ही किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी के मामले में अलग-अलग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा गठित चिकित्सा मंडल का निर्णय अंतिम होगा।*

लेखन सहायक की सेवाओं की आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों के लिए

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र/दिव्यांगता तथा लिखने में कठिनाई संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ **फॉर्म – लेखन सहायक (AMANUENSIS)-I/ फॉर्म – लेखन सहायक (AMANUENSIS)-II**, जो भी लागू हो, (**अनुलग्नक II: प्रमाणपत्र प्रारूप** देखें) को भरकर निकटतम क्षेत्रीय समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष को अनुरोध पत्र भेंजे।

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने लेखन सहायक की सेवाओं का लाभ उठाया है और/अथवा अनुपूरक समय का लाभ उठाया है, लेकिन वह दिव्यांगता के उस नियत दायरे में नहीं आता है और जिसे लेखन में कोई कठिनाई नहीं है और उसके बाद भी लेखन सहायक के उपयोग या अनुपूरक समय प्रदान करने का अधिकार प्रकट करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को मूल्यांकन, रैंकिंग और प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी पहले ही किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी के मामले में अलग-अलग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा गठित चिकित्सा मंडल *का निर्णय अंतिम होगा।*

डीएस श्रेणी[10] के अधीन प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए

- सशस्त्र सेनाकर्मियों के संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र **(प्रपत्र-डीएस)**।

उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी कक्षा XII **परीक्षा का बोर्ड भारत के बाहर है या खंड 25 में सूचीबद्ध नहीं है [खंड 25: कक्षा** XII **के समकक्ष मान्य परीक्षाएं** देखें।**]:**

- भारतीय विश्वविद्यालय संघ से इस आशय का प्रमाण-पत्र जो प्रमाणित करे कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा बारहवीं कक्षा की परीक्षा के समकक्ष है।

विदेशी नागरिक अभ्यर्थी (ओसीआई/पीआईओ (आई) एवं (एफ) खंड 6.2 देखें) https://jeeadv.ac.in/foreign.html लिंक देखें ।

16. प्रवेश पत्र

- जेईई (उच्च) **2025** के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल: **https://jeeadv.ac.in** से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए समयसारणी	11 मई 2025 (रविवार, 10:00 भारतीय मानक समयानुसार) से 18, मई, 2025 (रविवार, 14:30 IST भारतीय मानक समयानुसार)

- प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के निम्नलिखित विवरण होंगे: नाम, जेईई (उच्च) 2025 के लिए रोल नंबर, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म तिथि, पत्राचार के लिए पता और श्रेणी।

[10] *No. 321/Adm/Misc/Vol-I, dated 22 October, 2020*

- इसके अलावा, प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को आबंटित परीक्षा केंद्र का नाम और पता होगा।
- अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक प्रवेश पत्र में अंकित प्रविष्टियों को जांच लें। किसी भी विसंगति की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025 से सम्पर्क करें।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई समस्या होने पर, अभ्यर्थी को तुरंत क्षेत्रीय अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025 से संपर्क करना होगा।
- डाउनलोड किये गए प्रवेशपत्र की प्रति के साथ मूल तथा वैध फोटो पहचान पत्र (आधार, विद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटोग्राफ के साथ नोटरीकृत प्रमाणपत्र, में से कोई एक) परीक्षा के समय अवश्य प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. प्रश्नपत्र

- जेईई (उच्च) 2025 में दो प्रश्नपत्र होंगे: प्रश्नपत्र **1** और प्रश्नपत्र **2**। प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे की अवधि का होगा। दोनों प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है।

- प्रत्येक प्रश्नपत्र में तीन अलग-अलग खंड होंगे, अर्थात भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित। पाठ्यचर्या **अनुलग्नक- I: पाठ्यचर्या** में दिए गए हैं।

- प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थियों की समझ**,** तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न शामिल होंगे।
- कुछ प्रश्नों के गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक दिए जा सकते हैं। अंकन योजना का विवरण परीक्षा के समय "**अभ्यर्थियों को निर्देश**" अनुभाग में प्रदान किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय उपलब्ध प्रश्नपत्रों में दिए गए विस्तृत निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा और उनका पालन करना होगा।
- प्रश्नपत्र अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। अभ्यर्थियों के पास परीक्षा के दौरान किसी भी समय पसंदीदा भाषा चुनने (और बीच में स्विच करने) का विकल्प होगा। किसी भी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- यद्यपि प्रश्नों की सटीकता के लिए पर्याप्त सावधानी रखी जाएगी, फिर भी किसी प्रश्न (प्रश्नों) को हटाए जाने की स्थिति में, सभी अभ्यर्थीयों को उस प्रश्न (प्रश्नों) के लिए पूर्णांक दिए जाएंगे (भले ही, ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) के लिए गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिया जाना हो)।

18. परीक्षा की प्रणाली

जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी। सीबीटी मोड से परिचित होने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https://jeeadv.ac.in पर उपलब्ध मॉक टेस्ट लें।

प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर एक कंप्यूटर टर्मिनल (नोड) आबंटित किया जाएगा। सीबीटी की स्वागत लॉगिन स्क्रीन, उस विशेष कंप्यूटर को आबंटित अभ्यर्थी की तस्वीर प्रदर्शित करेगी। लॉगिन के लिए, अभ्यर्थी को लॉगिन-आईडी के रूप में जेईई (उच्च) 2025 रोल नंबर दर्ज करना होगा और पासवर्ड के रूप में जन्म तिथि (ddmmyyyy प्रारूप में) दर्ज करनी होगी (उदाहरण के लिए, यदि अभ्यर्थी की जन्म तिथि 18 सितंबर, 2005 है, दर्ज किया जाने वाला पासवर्ड 18092005 होगा)।

लॉगिन के उपरांत, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के प्रकार और अंकन योजना के बारे में निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ें। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय पर अभ्यर्थी आगे बढ़ सकेंगे और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न देख सकेंगे। अभ्यर्थियों के पास परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान अपनी पसंदीदा भाषा (अंग्रेज़ी अथवा हिंदी) को चुनने (और बीच में स्विच/टॉगल) करने का विकल्प होगा।

कंप्यूटर से जुड़ा कीबोर्ड, यदि कोई हो, परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान अक्षम रहेगा। प्रश्न के प्रकार के आधार पर, प्रश्नों के उत्तर या तो कंप्यूटर माउस का उपयोग करके वर्चुअल ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड (संख्यात्मक या अन्य) पर क्लिक करके या कंप्यूटर माउस का उपयोग करके चुने गए विकल्प (विकल्पों) पर क्लिक करके दर्ज किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय पहले से दर्ज किए गए उत्तरों को बदलने/संशोधित करने का विकल्प होगा।

यदि परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी को आबंटित कम्प्यूटर/माउस किसी समय खराब हो जाता है तो अभ्यर्थी को तुरंत दूसरा कंप्यूटर सिस्टम आबंटित किया जाएगा और खोए समय को स्वतः सर्वर में समायोजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 3 घंटें (180 मिनट) का समय मिले [4 घंटें (240 मिनट) का समय पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों / 40% से कम दिव्यांगता रखने वाले अभ्यर्थियों और लिखने में कठिनाई रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने प्रतिपूरक समय का विकल्प चुना है]।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र में परीक्षा का संचालन करने वाले तकनीकी भागीदार के प्रतिनिधि के साथ-साथ एक अथवा एक से अधिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अभ्यर्थी इन प्रतिनिधियों से पर्यवेक्षक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

18.1. सीबीटी के लिए सामान्य अनुदेश

क. जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र की कुल अवधि 3 घंटें (180 मिनट) है [4 घंटें (240 मिनट) का समय पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों / 40% से कम दिव्यांगता रखने वाले अभ्यर्थियों और लिखने में कठिनाई रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने प्रतिपूरक समय का विकल्प चुना है] ।

ख. हर अभ्यर्थी का ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर सर्वर पर सेट किया जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर काउन्ट डाउन टाइमर अभ्यर्थी को परीक्षा पूरी करने के लिए उपलब्ध शेष समय (मिनटों में) प्रदर्शित करेगा। टाइमर शून्य पर पहुंच जाने पर, परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त करने या जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग. स्क्रीन के दाईं ओर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट (pallete) निम्नलिखित प्रतीकों में से एक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा:

1	You have not visited the question yet.
2	You have not answered the question.
3	You have answered the question.
4	You have NOT answered the question, but have marked the question for review.
5	The question(s) "Answered and Marked for Review" will be considered for evaluation.

घ. किसी प्रश्न के लिए "समीक्षा के लिए चिन्हित" स्थिति इंगित करती है कि अभ्यर्थी उस प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहेंगे। अभ्यर्थी के पास एक प्रश्न का उत्तर देने और साथ ही "समीक्षा के लिए चिह्नित" प्रश्न को चिह्नित करने का विकल्प होता है। उन प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन के लिए विचार किए जाएँगे। हालांकि, यदि किसी अभ्यर्थी ने बिना उत्तर दिए किसी प्रश्न के लिए "समीक्षा के लिए चिन्हित" डाल दिया है, तो बिना उत्तर के समीक्षा के लिए चिह्नित किए गए संबंधित प्रश्न को मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी समय संबंधित अनुभाग के प्रश्न पैलेट पर प्रदर्शित संबंधित प्रश्न संख्या आइकन पर क्लिक करके किसी भी "समीक्षा के लिए चिह्नित" प्रश्न पर वापस लौट सकते हैं।

ङ. अभ्यर्थी प्रश्न पैलेट को संक्षिप्त कर सकते हैं और इस तरह प्रश्न पैलेट के बाईं ओर दिखाई देने वाले ">" प्रतीक पर क्लिक करके प्रश्न देखने की विंडो को अधिकतम कर सकते हैं। प्रश्न पैलेट को फिर

से देखने के लिए, अभ्यर्थी "<" चिह्न पर क्लिक कर सकते हैं जो प्रश्न विंडो के दाईं ओर दिखाई देता है।

च. अभ्यर्थी स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए "व्यू इन" आइकन में ड्रॉपडाउन मेनू पर क्लिक करके परीक्षा के दौरान किसी भी समय प्रश्नों को प्रदर्शित करने के लिए अपनी पसंद की भाषा (अंग्रेज़ी अथवा हिंदी) को बदल सकते हैं।

छ. पूरे प्रश्न को देखने के लिए, अभ्यर्थी माउस का उपयोग करके ऊपर और नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं या क्वेश्चन व्यूइंग एरिया के बाएँ और दाएँ स्क्रॉल कर सकते हैं। अभ्यर्थी नीचे जाने के लिए आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और स्क्रॉल किए बिना प्रश्न क्षेत्र के शीर्ष पर नेविगेट करने के लिए आइकन पर क्लिक कर सकते हैं।

ज. स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने पर "प्रश्न पत्र" आइकन पर क्लिक करके संपूर्ण प्रश्नपत्र देखा जा सकता है।

झ. प्रत्येक प्रश्नपत्र के प्रारंभ में अभ्यर्थियों को रफ़ कार्य/गणना करने के लिए एक स्क्रिबल पैड प्रदान किया जाएगा। स्क्रिबल पैड में अभ्यर्थियों के लिए अपना नाम और जेईई (उच्च) का रोल नम्बर लिखने के लिए एक हेडर पेज होगा। इन पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए और निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र के अंत में अपने हस्ताक्षरित स्क्रिबल पैड अपने साथ वापस ले जाने की अनुमति है। अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त स्क्रिबल पैड नहीं दिया जाएगा।

18.2. एक प्रश्न पर नेविगेट करना

प्रश्नपत्र के अनुभागों के बीच नेविगेट करने के लिए, एक अभ्यर्थी को सभी प्रदर्शित अनुभागों में से पसंदीदा अनुभाग पर क्लिक करना होगा।

एक ही खंड में प्रश्नों के बीच नेविगेट करने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

क. स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रश्न संख्या पर क्लिक करके, उस क्रमांकित प्रश्न पर सीधे जाएं। ध्यान दें कि इस विकल्प का उपयोग करने से वर्तमान में प्रदर्शित प्रश्न का उत्तर **सहेजा नहीं** जाता है।

ख. किसी भी प्रश्न का उत्तर सेव करने के लिए "**सेव एंड नेक्स्ट**" पर क्लिक करें। "**सेव एंड नेक्स्ट**" पर क्लिक करने से वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव हो जाएगा और अगला प्रश्न अभ्यर्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

ग. समीक्षा के लिए एक प्रश्न को चिह्नित करने के लिए "**मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट**" पर क्लिक करें (उत्तर के साथ या इसके बिना) और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें।

18.3. किसी प्रश्न का उत्तर देना

1. बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया

क. विकल्प (विकल्पों) का चयन करने के लिए, विकल्प (विकल्पों) के संबंधित बटन (बटनों) पर क्लिक करें।

ख. चुने गए उत्तर को अचयनित करने के लिए, चुने गए विकल्प के बटन पर फिर से क्लिक करें या "**क्लियर रिस्पांस**" बटन पर क्लिक करें।

ग. उत्तर को सेव करने के लिए, अभ्यर्थी को "**सेव एंड नेक्स्ट**" बटन पर क्लिक करना होगा।

घ. समीक्षा के लिए प्रश्न को चिह्नित करने के लिए (उत्तर के साथ या उसके बिना), "**मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट"** बटन पर क्लिक करें।

2. ऑन-स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड (संख्यात्मक या अन्य) से इनपुट की आवश्यकता वाले प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया

क. इस प्रकार के प्रश्नों के प्रश्नविवरण के ठीक नीचे स्क्रीन पर एक वर्चुअल कीबोर्ड दिखाई देगा। अभ्यर्थी को प्रदान किए गए कंप्यूटर माउस की मदद से आवश्यक स्थान में उत्तर दर्ज करने के लिए ऑन-स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता है।

ख. परीक्षा के दौरान किसी भी समय, यदि आवश्यक हो, उत्तर को बदला जा सकता है। उत्तर को सेव करने के लिए, अभ्यर्थी को "**सेव एंड नेक्स्ट**" बटन पर क्लिक करना होगा।

ग. समीक्षा के लिए प्रश्न को चिह्नित करने हेतु (उत्तर के साथ या उसके बिना), **"मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट**" बटन पर क्लिक करें।

परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान अभ्यर्थी के पास कभी भी, पहले से दर्ज किये गए किसी प्रश्न के उत्तर को बदलने का विकल्प होगा। पहले से उत्तर दिए गए किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए, पहले प्रश्न पैलेट से संबंधित प्रश्न का चयन करें, फिर पहले उत्तर में "**Clear Response**" (क्लियर रिस्पांस) बटन पर क्लिक करें और बाद में उस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया का पालन करें।

18.4. अनुभागों के मध्य नेविगेट करना

1. प्रश्नपत्र के अनुभाग, स्क्रीन के टॉप बार पर प्रदर्शित होते हैं। अनुभाग के प्रश्नों को अनुभाग के नाम पर क्लिक करके देखा जा सकता है। अभ्यर्थी, वर्तमान में जिस अनुभाग को देख रहा है, वह हाइलाइट हो जाएगा।

2. किसी अनुभाग के अंतिम प्रश्न पर "**सेव एंड नेक्स्ट**" बटन पर क्लिक करने के बाद, अभ्यर्थी को अगले अनुभाग के पहले प्रश्न पर स्वचालित रूप से ले जाया जाएगा।

3. अभ्यर्थी सुविधा के अनुसार परीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी समय अनुभागों और किसी भी खंड के प्रश्नों के बीच फेरबदल कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थी संबंधित खंड सारांश को लेजेंड के भाग के रूप में देख सकते हैं जो प्रश्न पैलेट के ऊपर प्रत्येक खंड में दिखाई देता है।

19. जेईई (उच्च) 2025 आयोजित किए जाने वाले शहर और नगर

जेईई (उच्च) 2025 भारत के चुनिंदा शहरों और नगरों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपनी पसंद के दस (10) शहरों/ नगरों का चयन करना होगा। **अभ्यर्थी की पसंद शहरों/नगरों के बीच से शहर/नगर आबंटित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन असाधारण परिस्थितियों में कोई अलग शहर/नगर आबंटित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में शहर/ नगर के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।** उन शहरों/ नगरों की **अस्थायी** सूची जहाँ जेईई **(**उच्च**)** 2025 परीक्षा आयोजित की जाएगी**,** निम्नलिखित तालिका में दी गई है। ऑनलाइन जेईई **(**उच्च**)** 2025 पंजीकरण शुरू होने से पहले परीक्षा शहरों/नगरों की अंतिम सूची पंजीकरण पोर्टल में अधिसूचित की जाएगी।

जेईई (उच्च) 2025 के लिए शहरों और नगरों की अस्थायी सूची

शहर/नगर	कोड
आईआईटी मुंबई ज़ोन	
गोवा	
पणजी	101
मारगाँव /मडगाँव	102
गुजरात	
अहमदाबाद	103
आणंद	104
भावनगर	105
भुज	106
गांधीनगर	107
हिमतनगर	108
जामनगर	109
जूनागढ़	110
मेहसाना	111
राजकोट	112
सूरत	113
वड़ोदरा	114
वापी	115
वलसाड	116
कर्नाटक	
बागलकोट	117
बेलागावी (बेलगाम)	118
बेल्लारी	119
बंगलुरु	120
दवानगेरे	121
धारवाड़ -हुब्बाली (हुबली)	122
हासन	123
कलबुरगी (गुलबर्ग)	124
मंगलुरु (मंगलोर)	125
मयसुरु (मैसूर)	126
शिवमोग्गा (शिमोगा)	127
तुमकुरु (तुमकुर)	128
उडुपी/ मणिपाल	129
महाराष्ट्र	
अहमदनगर	130

शहर/नगर	कोड
अकोला	131
अमरावती	132
औरंगाबाद	133
भंडारा	134
चंद्रपुर	135
धुले	136
जलगाँव	137
कोल्हापुर	138
लातूर	139
मुंबई	140
नागपुर	141
नांदेड	142
नाशिक	143
नवी मुंबई	144
पालघर	145
पुणे	146
रायगढ़	147
संगमनेर	148
सांगली	149
सतारा	150
सोलापुर	151
ठाणे	152
वसई	153
वर्धा	154
यवतमाल	155
आईआईटी दिल्ली ज़ोन	
दिल्ली एन सी आर	
दिल्ली (पूर्व)	201
दिल्ली (उत्तर)	202
दिल्ली (दक्षिण)	203
दिल्ली (पश्चिम)	204
फ़रीदाबाद	205
नोएडा	206
गुड़गांव	207
जम्मू एवं कश्मीर	
जम्मू	208
श्रीनगर	209

शहर/नगर	कोड
लद्दाख	
लेह	210
राजस्थान	
अजमेर	211
अलवर	212
भीलवाड़ा	213
बीकानेर	214
हनुमानघर	215
जयपुर	216
जोधपुर	217
कोटा	218
सीकर	219
उदयपुर	220
आईआईटी गुवाहाटी ज़ोन	
अरुणाचल प्रदेश	
नाहरलागुन	301
असम	
डिब्रूगढ़	302
गुवाहाटी	303
जोरहाट	304
सिलचर	305
तेजपुर	306
बिहार	
आरा	307
औरंगाबाद	308
भागलपुर	309
दरभंगा	310
गया	311
मुज़फ्फ़रपुर	312
पटना	313
पूर्णिया	314
रोहतास	315
मणिपुर	
इम्फ़ाल	316

शहर/नगर	कोड
मेघालय	
शिलांग	317
मिज़ोरम	
आइजोल	318
नागालैंड	
कोहिमा	319
सिक्किम	
गान्तोक	320
त्रिपुरा	
अगरतला	321
पश्चिम बंगाल	
सिलिगुड़ी	322
आईआईटी कानपूर ज़ोन	
मध्य प्रदेश	
भोपाल	401
इंदौर	402
जबलपुर	403
सागर	404
सतना	405
उज्जैन	406
उत्तर प्रदेश	
गोरखपुर	407
झाँसी	408
कानपुर	409
लखनऊ	410
प्रयागराज (इलाहाबाद)	411
वाराणसी	412
आईआईटी खड़गपुर ज़ोन	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
पोर्ट ब्लेयर	501
आंध्र प्रदेश	
श्रीकाकुलम	502

शहर/नगर	कोड
विशाखापत्तनम	503
विजयनगरम	504
छत्तीसगढ़	
भिलाई	505
बिलासपुर	506
रायपुर	507
झारखण्ड	
धनबाद	508
हजारीबाग	509
जमशेदपुर	510
रांची	511
ओड़िशा	
बालासोर	512
बहरामपुर (गंजम)	513
भुवनेश्वर	514
कटक	515
जयपुर	516
राउरकेला	517
संबलपुर	518
पश्चिम बंगाल	
आसनसोल	519
बहरामपुर (मुर्शिदाबाद)	520
बर्दवान	521
दुर्गापुर	522
कल्याणी (नदिया)	523
खड़गपुर- कोलाघाट	524
कोलकाता (उत्तर)	525
कोलकाता (दक्षिण)	526
आईआईटी हैदराबाद ज़ोन	
आंध्र प्रदेश	
अमलापुरम	601
अनंतपुर	602
भीमावरम	603
चिरला	604
चित्तूर	605
इलुरू	606
गुद्लावाल्लेरू	607
गुडुर	608

शहर/नगर	कोड
गुंटूर	609
कडापा	610
काकीनाड़ा	611
कुरनूल	612
मरकपुर	613
माय्लावाराम	614
नारासरावपेट	615
नेल्लोर	616
ओंगोले	617
राजसमुन्द्री	618
सुरमपेलम	619
ताडेपल्लिगुडम	620
तिरुपति	621
विजयवाड़ा	622
केरला	
अलाप्पुझा	623
कन्नूर	624
कासरगोड	625
कोच्चि	626
कोल्लम	627
कोट्टयम	628
कोझिकोड	629
मलप्पुरम	630
पलक्कड़	631
तिरुवनंतपुरम	632
त्रिचूर	633
पुदुचेरी	
पुदुचेरी	634
तमिलनाडु	
चेन्नै	635
कोयम्बटूर	636
मदुरै	637
सालेम	638
तंजावूर	639
तिरुचिरापल्ली	640
तिरुनेलवेली	641
वेल्लोर	642
नागरकोइल	643
नामक्कल	644
विरुधुनगर	645

शहर/नगर	कोड
तेलंगाना	
आदिलाबाद	646
हैदराबाद	647
करीमनगर	648
खम्मम	649
कोडाद	650
कोठागुदेम	651
महबूबनगर	652
नलगोंडा	653
निज़ामाबाद	654
सथुपल्ली	655
सिद्दीपेट	656
सूर्यापेट	657
वारंगल	658
आईआईटी रूड़की ज़ोन	
चंडीगढ़	
चंडीगढ़	701
हरियाणा	
अंबाला	702
हिसार	703
कुरुक्षेत्र	704
हिमाचल प्रदेश	
बिलासपुर	705
हमीरपुर	706
शिमला	707
मंडी	708
काँगड़ा	709
पठानकोट	710
मध्य प्रदेश	
ग्वालियर	711
पंजाब	
अमृतसर	712
बठिंडा	713
जालंधर	714
लुधियाना	715
मोहाली	716
पटियाला	717
उत्तराखंड	
देहरादून	718

शहर/नगर	कोड
हल्द्वानी	719
रूड़की	720
उत्तर प्रदेश	
आगरा	721
अलीगढ़	722
बरेली	723
गाजियाबाद	724
मथुरा	725
मेरठ	726
मुरादाबाद	727
मुज़फ्फ़रनगर	728
सहारनपुर	729
विदेश स्थित केंद्र	
अबू धाबी	एफ 01
काठमांडू	एफ 02

20. परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थी परीक्षा के लिए डाउनलोड किये गए प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति और अपना वैध मूल फोटो पहचान पत्र (आधार, विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, नोटरीकृत फोटो सहित प्रमाण-पत्र में से कोई एक) अवश्य लाएं। केवल वैध प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान-पत्र होने पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी।

- अभ्यर्थी की पहचान परीक्षा केंद्र पर निरीक्षकों के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदेह में है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिकारी अपने विवेक से कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बदले परीक्षा को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, के मुद्दे पर क्षेत्रीय समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025 का निर्णय अंतिम होगा।
- परीक्षा में छद्मरूपण और/या अनुचित साधनों के उपयोग को गंभीर अपराध माना जाता है और इससे जेईई (उच्च) 2025 और प्रवेश संबंधी सभी प्रक्रियाओं से अभ्यर्थिता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इससे ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
- परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की व्यापक और अनिवार्य फ्रिस्किंग की जाएगी। जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों को उचित और व्यापक निर्देश जारी करेगा, जिसमें महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग के निर्देश भी शामिल होंगे।
- केवल पेन, पेंसिल, पारदर्शी बोतल में पीने का पानी, डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र और एक मूल फोटो पहचान पत्र परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं की अनुमति नहीं होगी: घड़ियाँ, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मुद्रित/कोरा/हाथ से लिखा हुआ कागज़, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, स्केल, इरेज़र, ज्योमेट्री/पेंसिल-बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, वॉलेट, हैंडबैग, कैमरा, गॉगल या इसी तरह के अन्य सामान।

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रत्न/तावीज़, धातु से बनी वस्तुएँ जैसे अंगूठी, ब्रेसलेट, कान की बाली, नोज़ पिन, चेन/हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच, बड़े बटन वाले कपड़े न पहनें । उन्हें चप्पल और सैंडल जैसे खुले जूते पहनने की भी सलाह दी जाती है।
- कोई भी अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित साधनों के लिए किया जा सकता है, या माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि जैसे संचार उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सकता है, की अनुमति नहीं है।
- अभ्यर्थियों को दृढ़ सलाह दी जाती है कि वे पीने का पानी पारदर्शी बोतल में लेकर आएं।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहले ही रिपोर्ट करना चाहिए और अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी करनी चाहिए जिनका उल्लेख प्रवेश पत्र में किया जाएगा। परीक्षा केंद्र 07:00 IST से खुले रहेंगे।
- प्रत्येक प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र 1 के लिए 09:00 IST और प्रश्नपत्र 2 के लिए 14:30 IST) की परीक्षा शुरू होने के उपरांत परीक्षा केंद्र पर पहुँचने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्नपत्र 1 के लिए परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश 9:00 IST (भारतीय मानक समय) और प्रश्नपत्र 2 के लिए 14:30 IST (भारतीय मानक समय) बंद रहेगा।
- अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्नपत्र की पूरी अवधि के लिए परीक्षा हॉल में उपस्थित होना आवश्यक है। वे प्रश्नपत्र 1 के लिए 12:00 IST से पहले और प्रश्नपत्र 2 के लिए 17:30 IST से पहले परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकते।
- प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 2 दोनों में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए, केवल उन अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन/ग्रेड किया जाएगा जो प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 2 दोनों के लिए उपस्थित हुए हैं।
- वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी कोई कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं हैं। परीक्षा के समय कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध लागू होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए जेईई (उच्च) 2025 वेबसाइट पर एक उपयुक्त संदेश दर्शाया जाएगा।

21. अभ्यर्थी की प्रतिक्रियाओं का प्रसारण और उत्तर कुंजी का ऑनलाइन प्रदर्शन

- प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 2 दोनों के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के उत्तर (परीक्षा के दौरान रिकॉर्ड किए गए), जेईई (उच्च) 2025 के अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल से देखने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने के लिए उपलब्ध होंगे (अभ्यर्थी पोर्टल पर जाने के लिए, https ://jeeadv.ac.in देखें)।

- अनंतिम उत्तर कुंजी केवल अस्थायी है और परिवर्तन के अधीन है।

- प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 2 दोनों के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जेईई (उच्च) 2025 ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। अनंतिम उत्तर कुंजियों के प्रदर्शन के बाद, अभ्यर्थी अपनी प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, अभ्यर्थी पोर्टल पर जमा कर सकते हैं।
- अंतिम उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के उपरांत**,** निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अंक प्रदान किए जायेंगे।

अभ्यर्थी के उत्तरों की कॉपी की जेईई (उच्च) 2025 की वेबसाइट : **https://jeeadv.ac.in पर उपलब्धता**	22 मई, 2025 (गुरूवार, 17:00 IST बजे)
अनंतिम उत्तर कुंजी का https://jeeadv.ac.in पर ऑनलाइन प्रदर्शन	26 मई, 2025 (सोमवार, 10:00 IST बजे)
अभ्यर्थी पोर्टल के माध्यम से अनंतिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करना	26 मई, 2025 (सोमवार, 10:00 IST बजे) से 27 मई, 2025 (गुरूवार, 17:00 IST बजे)
अंतिम उत्तर कुंजी का https://jeeadv.ac.in पर ऑनलाइन प्रदर्शन	2 जून, 2025 (सोमवार, 10:00 IST बजे)

22. रैंक सूचियाँ

- वे अभ्यर्थी जो प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 2 **दोनों** में उपस्थित होंगे, केवल उनकी रैंकिंग के लिए विचार किया जाएगा।
- जेईई (उच्च**) 2025** में अभ्यर्थी द्वारा भौतिकी में प्राप्त किये गए कुल अंक प्रश्नपत्र **1** के भौतिकी भाग और प्रश्नपत्र **2** के भौतिकी भाग में प्राप्त अंकों के योग के **बराबर** होंगे। रसायन विज्ञान और गणित में प्राप्त किये गए अंकों की गणना भी इसी प्रकार की जाएगी।
- जेईई (उच्च) 2025 में एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक**,** अभ्यर्थी को भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में दिए गए अंकों का योग होगा।
- जेईई (उच्च) 2025 में कुल अंकों के आधार पर रैंक सूची तैयार की जाती है।
- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक समान हैं**,** तो रैंक देने के लिए निम्नलिखित टाई-ब्रेक नीति का उपयोग किया जाएगा:

  चरण 1: उच्च सकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थियों को उच्च रैंक दी जाएगी।

यदि चरण 1 पर टाई ब्रेकिंग मानदंड टाई को तोड़ने में विफल रहता है, तो चरण 2 में निम्नलिखित मानदंड का पालन किया जाएगा।

चरण 2: गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च रैंक दी जाएगी। यदि यह टाई तोड़ने में सफल नही होता है, तो उस अभ्यर्थी को उच्च रैंक दिया जाएगा जिसने भौतिकी में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। यदि इसके बाद भी टाई होता है, तो अभ्यर्थियों को समान रैंक दी जाएगी।

- पूर्व-तैयारी (Preparatory) पाठ्यक्रम के लिए रैंक सूची [खंड 28:पूर्व-तैयारी पाठ्यक्रम देखें] सभी श्रेणियों में उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए तैयार की जाएगी जो नीचे दिए गए निर्धारित छूट मानदंडों को पूरा करते हैं।
- एक अभ्यर्थी को जेईई (उच्च) में अर्हता प्राप्त माना जाता है यदि वह संबंधित श्रेणी के अनुसार और नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्येक विषय में और कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करता है । एक अभ्यर्थी जो एक से अधिक श्रेणियों में अर्हता प्राप्त करता है, उसे रैंकिंग के उद्देश्य से सभी श्रेणियों में शामिल किया जाएगा।
- रैंकिंग के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी।
- रैंक सूची में केवल ऐसे अभ्यर्थी शामिल किये जाएंगे जिन्होंने प्रत्येक प्रश्नपत्र के प्रत्येक विषय में **और** कुल अंकों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं। न्यूनतम निर्धारित अंक विभिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न हैं। इसे निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

रैंक सूची में शामिल किए जाने के लिए निर्धारित अंकों का न्यूनतम प्रतिशत

रैंक सूची	प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत	कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत
सामान्य रैंक सूची (CRL)	10.0	35.0
सामान्य-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची	9.0	31.5
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची	9.0	31.5
एससी रैंक सूची	5.0	17.5
एसटी रैंक सूची	5.0	17.5
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (CRL -PwD)	5.0	17.5
सामान्य-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची	5.0	17.5
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची	5.0	17.5
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची	5.0	17.5
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची	5.0	17.5
पूर्व-तैयारी (Preparatory) पाठ्यक्रम रैंक सूची	2.5	8.75

नोट: (i) सीआरएल (CRL) वह रैंक सूची है जहाँ सभी अभ्यर्थियों (सभी श्रेणियों के) को रैंक दी जाएगी|

(ii) दिनांक 13 जून, 2018 के अनुसार एमएचआरडी के निर्देश (F.No. 28-8/2017-TS-I) के अनुसार यदि आवश्यक हो, बाद में कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत कम किया जा सकता है।

23. जेईई (उच्च) 2025 के परिणाम

- परिणाम 2, जून, 2025 (सोमवार) को घोषित किए जाएँगे। परिणाम घोषित होने के उपरांत सफल अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) जेईई (उच्च) 2025 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर टेक्स्ट मेसेज भी भेजे जाएँगे।
- अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रैंक कार्ड नहीं भेजे जाएँगे।
- जेईई (उच्च) 2025 में क्वालीफ़ाई करना, विकल्पों को भरना और/अथवा संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना, अभ्यर्थी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। प्रवेश, योग्यता और सीट आवंटन के विभिन्न दौरों के दौरान सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

24. बी.आर्क. पाठ्यक्रम के लिए वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (आर्किटेक्चर एट्टीट्यूड टेस्ट)

बी.आर्क. पाठ्यक्रम केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (का. हि. वि.) वाराणसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की में ही उपलब्ध है । बी. आर्क. (आर्किटेक्चर) पाठ्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों का आर्किटेक्चर एट्टीट्यूड टेस्ट (एएटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

- जेईई (उच्च) 2025 में क्वालीफ़ाई करने वाले अभ्यर्थी ही एएटी 2025 में शामिल होने के पात्र हैं।
- आर्किटेक्चर एट्टीट्यूड टेस्ट (एएटी) उत्तीर्ण करने के अलावा, बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक का मानदंड [*खंड 26: बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक देखें*] बी. आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी समान रहेगा।
- एएटी के लिए पाठ्यचर्या अनुलग्नक-I: पाठ्यचर्या में दिया गया है।
- अभ्यर्थियों को नीचे निर्धारित समय सारिणी के अनुसार एएटी के लिए जेईई (उच्च) 2025 ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- एएटी सभी आंचलिक समन्वयक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (Zonal IITs) में आयोजित किया जाएगा।
- परीक्षा में तीन घंटे की अवधि का एक प्रश्नपत्र शामिल होगा।
- कम से कम 40% असमर्थता वाले दिव्यांग पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी (जैसा कि लागू) एक घंटे के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र हैं। हालाँकि, उन्हें प्रतिपूरक समय का लाभ उठाने और/या एक लेखन सहायक (अमनुएन्सिस) की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण के दौरान अपेक्षित फॉर्म (अनुलग्नक- II: प्रमाणपत्र प्रारूप देखें) भरना होगा। कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए खंड 14 और खंड 15 भी देखें।
- कम से कम 40% दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी तथा लिखने में कठिनाई रखने वाले अभ्यर्थी, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के खंड 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, भी एक घंटे के प्रतिपूरक समय हेतु पात्र हैं। हालाँकि, उन्हें प्रतिपूरक समय का लाभ उठाने और/या एक लेखन सहायक (अमनुएन्सिस) की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण के दौरान अपेक्षित फॉर्म (अनुलग्नक- II: प्रमाणपत्र प्रारूप देखें) भरना होगा। कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए खंड 14 और खंड 15 भी देखें।
- एएटी का प्रश्नपत्र केवल अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध होगा।
- एएटी के लिए अलग से कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जेईई (उच्च) 2025 के डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को प्रिंट करना होगा तथा मूल फोटो पहचान पत्र के साथ एएटी परीक्षा हॉल में दिखाना होगा।
- अभ्यर्थियों को अपनी ड्राइंग और रंग भरने वाली सामग्री स्वयं लाना होगा|
- जेईई (उच्च) 2025 की संयुक्त कार्यान्वयन समिति एएटी पास करने के लिए कट-ऑफ अंक तय करेगी।

- एएटी के परिणाम जेईई (उच्च) 2025 ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित किए जाएँगे।
- कट-ऑफ से ऊपर अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास घोषित किया जाएगा। एएटी में कोई अलग रैंकिंग नहीं है।
- सीटों का आवंटन पूरी तरह से जेईई (उच्च) 2025 और बी. आर्क. में श्रेणी-वार अखिल भारतीय रैंक पर आधारित होगा। पाठ्यक्रम में केवल उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें एएटी में पास घोषित किया गया है।

एएटी की समय-सारणी

एएटी पंजीकरण के लिए पोर्टल	https://jeeadv.ac.in
एएटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण	02 जून 2025 (सोमवार, 10:00 IST) से 03 जून 2025 (मंगलवार, 17:00 IST) तक
आर्किटेक्चर ऐप्टीट्यूड टेस्ट	05 जून 2025 (गुरुवार) 09:00 IST से 12:00 IST तक (अभ्यर्थी को 08:00 IST तक परीक्षा केंद्र पहुँचना चाहिए)
एएटी परिणामों की घोषणा	08 जून 2025 (रविवार), 17:00 IST

भाग – III: प्रवेश

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

25. कक्षा XII के समकक्ष मान्य परीक्षाएं

- भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र अथवा राज्य बोर्ड के अंतर्गत 10+2 द्वारा की अंतिम परीक्षा।
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट या दो वर्षीय पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के संयुक्त सेवा विंग के दो वर्षीय पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा, न्यूनतम पांच विषयों के साथ।
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) से 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी पब्लिक स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा भारत अथवा विदेश में आयोजित परीक्षा।
- एच.एस.सी. (HSC) व्यावसायिक परीक्षा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम 3 वर्षीय डिप्लोमा।
- उच्च (ए) स्तरीय, सामान्य प्रमाणपत्र शिक्षा (GCE) परीक्षा (लंदन, कैंब्रिज या श्रीलंका) |
- कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हाई स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा या अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जिनेवा कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय उपाधि डिप्लोमा।
- अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा XII (या समकक्ष) परीक्षा भारत के बाहर से अथवा किसी ऐसे बोर्ड से उत्तीर्ण की है जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है, उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र देना होगा जो इस आशय की पुष्टि कर सकें कि उनके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा XII के समकक्ष हैं|
- यदि कक्षा XII की परीक्षा सार्वजनिक (पब्लिक) परीक्षा नहीं हैं तो अभ्यर्थी को पूर्व में कम से कम एक सार्वजनिक (बोर्ड या पूर्व-विश्वविद्यालय) की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

26. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन

- अभ्यर्थियों को बारहवीं कक्षा (या समकक्ष परीक्षा) में पहली उपस्थिति के वर्ष में अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ निम्नलिखित दो मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा:

1. अभ्यर्थी ने न्यूनतम पाँच विषयों तथा कम से कम 75% अंकों के साथ बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा उतीर्ण की हों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए कुल अंक कम से कम 65% होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी ने कम से कम पाँच विषयों के साथ बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा उतीर्ण की हों तथा अपनी संबंधित कक्षा XII (अथवा समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रेणी-वार (श्रेणी केंद्रीय सूची https://www.ncbc.nic.in, https://socialjustice.gov.in और https://ncst.nic के अनुसार) शीर्ष 20% के भीतर होना चाहिए।

प्रतिशत की गणना सभी आवश्यक विषयों के लिए केवल एक शैक्षणिक वर्ष में की जाएगी। इसलिए, बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी या तो एक या अधिक विषयों में उपस्थित हो सकते हैं और सुधार के बाद न्यूनतम 75% कुल अंक (एस सी, एस टी और पी डब्ल्यू डी के लिए 65 प्रतिशत) होने चाहिए, या संबंधित शैक्षणिक वर्ष के शीर्ष 20 प्रतिशत में होने के लिए सभी विषयों में सुधार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। (अनुभाग 26.1. शीर्ष 20 प्रतिशतक के लिए कट-ऑफ अंक के संबंध देखें)

सभी मामलों में, मार्कशीट एक ही परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई होनी आवश्यक है और अलग-अलग बोर्ड से मार्कशीट की अनुमति नहीं है ।

• शीर्ष 20 प्रतिशत मानदंड को पूरा करने के लिए कुल अंकों और कट-ऑफ अंकों की गणना के लिए निम्नलिखित पांच विषयों में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।

i. भौतिक विज्ञान

ii. रसायन विज्ञान

iii. गणित

iv. एक भाषा (यदि अभ्यर्थी ने एक से अधिक भाषाएँ ली हैं, तो अधिक अंकों वाली भाषा पर विचार किया जाएगा)

v. उपरोक्त चार के अलावा कोई भी विषय (उच्चतम अंक वाले विषय पर विचार किया जाएगा) ।

- पांच विषयों के लिए कुल अंकों की गणना के लिए, यदि किसी विषय में दिए गए अंक 100 में से नहीं हैं, तो अंकों को 100 तक (ऊपर या नीचे) बढ़ाया जाएगा ताकि कुल अंकों का योग 500 में से हो।
- यदि कोई बोर्ड ग्रेड शीट पर समान प्रतिशत अंक प्रदान किए बिना केवल अक्षर ग्रेड प्रदान करता है, तो अभ्यर्थी को बोर्ड से समान अंक दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसे आबंटित

सीट की स्वीकृति के समय जमा करना होगा। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो जेईई (उच्च) 2025 की संयुक्त कार्यान्वयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

- उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में पहली बार कक्षा 12वीं (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे और 2025 में सभी विषयों (किसी भी कारण से) में फिर से उपस्थित हुए, दोनों में से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा।
- यदि कोई बोर्ड ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों परीक्षाओं (10+2 प्रणाली में) को ध्यान में रखते हुए कुल अंक देता है, तो केवल बारहवीं कक्षा के अंकों पर विचार किया जाएगा।
- यदि कोई बोर्ड 2-वर्षीय इंटरमीडिएट या समकक्ष पाठ्यक्रम के दोनों वर्षों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कुल अंक देता है, तो केवल अंतिम वर्ष में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा। यदि ऐसा बोर्ड दोनों वर्षों के अंक अलग-अलग देता है, तो भी केवल अंतिम वर्ष में प्राप्त अंक ही माने जाएंगे।
- यदि कोई बोर्ड 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष अवधि के पाठ्यक्रमों के सभी तीन वर्षों के परिणामों पर विचार करते हुए कुल अंक देता है, तो केवल अंतिम वर्ष में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।
- यदि कोई बोर्ड सेमेस्टर प्रणाली का पालन करता है, तो अंतिम दो सेमेस्टर में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।
- यदि किसी भी विषय, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और भाषा का अंतिम वर्ष में मूल्यांकन नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में), तो उसी विषय के लिए कुल अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए पिछले वर्ष के अंकों का उपयोग किया जाएगा। ।
- यदि कोई बोर्ड अलग-अलग विषयों में अंक नहीं देता है बल्कि केवल कुल अंक देता है, तो बोर्ड द्वारा दिए गए कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।
- उक्त नियम उन अभ्यर्थियों पर भी समान रूप से लागू होगा जो पहली बार 2023 में अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे, परंतु बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के परिणाम 28 जून 2023 को या उसके उपरांत घोषित किए।

विदेशी अभ्यर्थी और ओसीआई /पीआईओ (एफ) { खंड-6.2 देखें } अभ्यर्थी निम्नलिखित लिंक देखें:

https://jeeadv.ac.in/foreign.html

26.1. शीर्ष 20 प्रतिशतक के लिए कट-ऑफ अंक के संबंध में

- शीर्ष 20 प्रतिशतक के लिए श्रेणी-वार कट-ऑफ अंकों की गणना सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है, जो किसी विशेष वर्ष में सभी आवश्यक विषयों के लिए अपने संबंधित बोर्ड में उपस्थित हुए थे।
- पी डब्ल्यू डी अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ अंक - सामान्य, ओ बी सी-एनसी एल, एस सी और एस टी श्रेणियों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक के समान होंगे।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष 20 प्रतिशतक कट-ऑफ को 2025 में बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थित होने वाले सफल अभ्यर्थियों के लिए माना जाएगा।
- इसी प्रकार, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए शीर्ष 20 प्रतिशतक कट-ऑफ को 2024 में बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थित होने वाले सफल अभ्यर्थियों के लिए माना जाएगा।
- जो अभ्यर्थी 2024 में पहली बार कक्षा 12वीं (या समकक्ष) की परीक्षा में शामिल हुए थे और 2025 में शीर्ष 20 प्रतिशतक कट-ऑफ मानदंडों के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से (या उन्हें) दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें सभी विषयों में फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2025 के लिए शीर्ष 20 प्रतिशतक कट-ऑफ पर विचार किया जाएगा।
- यदि कोई बोर्ड शीर्ष 20 प्रतिशतक के लिए कट-ऑफ के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड से एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक II में दिये गये प्रपत्र के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा कि वह सफल अभ्यर्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशतक में आता है। यदि अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए संबंधित श्रेणियों में कट-ऑफ अंक का उपयोग किया जाएगा।
- उपर्युक्त नियम, उन अभ्यर्थियों पर भी समान रूप से लागू होंगे जो पहली बार 2023 में अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने 28 जून 2023 को या उसके बाद शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए परिणाम घोषित किए।

26.2. 75 प्रतिशत पूर्ण अंकों के संबंध में (अथवा एस सी, एस टी तथा पीडब्ल्यू डी के लिए 65 प्रतिशत)

- 2025 कक्षा XII (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को उन अभ्यर्थियों के लिए माना जाएगा जो 2025 में कक्षा XII की परीक्षा में शामिल होंगे।
- 2024 कक्षा XII (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी 2025 में किसी भी विषय में कक्षा XII (या समकक्ष) परीक्षा में दोबारा न बैठे।
- यदि कोई अभ्यर्थी 2024 में अपनी बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) में उपस्थित हुए थे और "75 प्रतिशत (या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी के लिए 65 प्रतिशत) मानदंड" के कुल अंकों को पूरा करने के लिए अपने कुल अंकों में सुधार करना चाहते हैं, वह सुधार के लिए जितने भी विषयों की इच्छा रखते हैं, उसके लिए पुनः परीक्षा दे सकते/सकती हैं। इस स्थिति में प्रतिशत अंकों की गणना 2024 या 2025 में प्राप्त अंक, (संबन्धित विषयों में) जो भी अधिक हो, 2024 और 2025 में उनके दो प्रयासों में प्राप्त अंकों पर विचार करके की जाएगी।
- उपर्युक्त नियम, उन अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से लागू होगा जो पहली बार 2023 में अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) के परीक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए परिणाम 28 जून, 2023 को या उसके बाद घोषित किए।
- अभ्यर्थी द्वारा अपनी कक्षा 12 (या समतुल्य) की परीक्षा के लिए जमा की गई मार्कशीट एक ही परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी की जानी चाहिए।

27 संयुक्त सीट आवंटन

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIITs) तथा भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित अन्य तकनीकी संस्थानों (GFTIs) की सभी सीटों को चालू वर्ष हेतु ऑनलाइन माध्यम में गठित संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) द्वारा प्रदान एवं आबंटित किया जाएगा ।
- जेईई (उच्च) 2025 में रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीट के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्रकिया में सहभागिता के लिए पात्र हैं ।
- सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश के पात्र हैं, उन्हें अपने पाठ्यक्रमों के विकल्प को भरकर संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया में सहभागी होना होगा ।

- विकल्पों तथा सीट आवंटन प्रक्रियाविधि को भरने के लिए विस्तृत सूचनाएं, जोसा बिजनेस रुल्स 2025 के माध्यम से JoSAA 2025 द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी ।
- संयुक्त सीट आवंटन की अनुसूची JoSAA 2025 द्वारा अलग से घोषित की जाएगी ।
- शैक्षिक वर्ष 2025-26 हेतु प्रवेश के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रदान किए जानेवाले पाठ्यक्रमों की सूची को ऑनलाइन विकल्प भरते समय उपलब्ध कराया जाएगा ।

28 पूर्व-तैयारी (Preparatory) पाठ्यक्रम

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित जो सीटें नहीं भरती हैं तो संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, प्रवेश मानदंड में कुछ और छूट के आधार पर, 1 वर्ष की अवधि के पूर्व-तैयारी (Preparatory) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। (**खंड 22 : रैंक सूची देखें**)
- पूर्व-तैयारी पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते (i) संबंधित श्रेणी की आरक्षित सीट रिक्त हों, (ii) अभ्यर्थी न्यूनतम प्रतिमानों (norms) को पूरा करें, और (iii) अभ्यर्थी ने पहले कभी पूर्व-तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया हो।
- चुनिंदा **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों** में एक वर्ष की अवधि का पूर्व-तैयारी पाठ्यक्रम चलाया जाता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों के लिए (सत्र 2026-27 के लिए) आबंटित पाठ्यक्रम की तैयारी करने के उद्देश्य से होता है। इस पाठ्यक्रम के अंत में, अभ्यर्थी 'सफल' या 'असफल' घोषित किया जाता है । जिस संस्थान में अभ्यर्थी के लिए एक वर्षीय पूर्व-तैयारी (preparatory) कार्यक्रम चलाया जाता है, वह अभ्यर्थी को शैक्षिक कार्यक्रम के लिए आबंटित संस्थान से भिन्न हो सकता है।
- पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, उम्मीदवारों को मूल रूप से आबंटित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले से ही आबंटित पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम में वर्ष 2026 (शैक्षणिक वर्ष 2026-27) में सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी जिन्होंने 2025 पूर्व-तैयारी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, यदि दूसरे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो जेईई (उच्च) 2026 में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं ।
- पूर्व-तैयारी पाठ्यक्रमों के लिए विकल्पों को भरने का कार्य JoSAA ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाना है।

29 निश्चित पाठ्यक्रमों हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं

- वे अभ्यर्थी जिन्होंने खनन अभियांत्रिकी / खनन मशीनरी अभियांत्रिकी अथवा खनन अभियांत्रिकी / खनन सुरक्षा अभियांत्रिकी में बी.टेक. / एम. टेक. दोहरी उपाधि अथवा अनुप्रयुक्त भूविज्ञान / अनुप्रयुक्त भूभौतिकी में समेकित एम.टेक. अथवा अनुप्रयुक्त भूविज्ञान / अन्वेषण भू भौतिकी में समेकित बी.एस. कार्यक्रम का चयन किया है, उनमें किसी भी प्रकार की वर्णान्धता (colour blindness) नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में सरकारी पंजीकृत चिकित्सक प्रैक्टिशनर का प्रमाणपत्र, सीट स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों की चिकित्सा स्थिति की वैधता को जाँचने के लिए चिकित्सा मंडल गठित किया जा सकता है । ऐसे चिकित्सा मंडल का विचार अंतिम होगा और इस आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार के वर्णान्धता से पीड़ित है, तो संबंधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश रद्द किया जाएगा ।
- दिव्यांग अभ्यर्थी खनन अभियांत्रिकी/खनन मशीनरी अभियांत्रिकी में बी.टेक. या खनन अभियांत्रिकी/खनन सुरक्षा अभियांत्रिकी में बी.टेक.-एम.टेक दोहरी-उपाधि या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/अनुप्रयुक्त भूभौतिकी में एम.टेक. का विकल्प नहीं चुन सकते हैं ।
- लोकोमोटर दिव्यांगता वाले दिव्यांग अभ्यर्थी अनुप्रयुक्त भूविज्ञान / अन्वेषण भूभौतिकी में समेकित बी.एस का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
- खनन अभियांत्रिकी में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए, चश्मे के साथ अथवा चश्मे के बिना, 1972 का डीजीएमएस परिपत्र 14 के अनुसार, दृश्य तीक्ष्णता मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा । मात्र एक आँख से देख पाने वाले व्यक्ति को जमीन के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं है। इस सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी खनन अभियांत्रिकी या खनन मशीनरी अभियांत्रिकी में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

30 खनन अभियांत्रिकी व् यवसाय पाठ्यक्रमों के लिए महिला अभ्यर्थी प्रतिबंध

खनन अधिनियम 1952 के अनुच्छेद 46 (1) के अनुसार –

"कोई भी महिला, यद्यपि किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित होते हुए, नियुक्त नहीं की जाएँगी

a) खनन के किसी भी भाग में, जो जमीन के नीचे है,

b) जमीन के ऊपर किसी भी खनन में, 6:00 से 19:00 के बीच के समय के अतिरिक्त"

यद्यपि महिला अभ्यर्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ISM), धनबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (का.हि.वि.) में खनन अभियांत्रिकी अथवा खनन मशीनरी अभियांत्रिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा ।

31 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा 2024-25 में चलाए गए पाठ्यक्रमों की सूची

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा शैक्षिक वर्ष 2024-25 में प्रदान किए जाने वाले संबंधित पाठ्यक्रम अनुलग्नक-III में दिए गए हैं। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं 'AR' के रूप में चिन्हित की गई हैं । विभिन्न संस्थानों द्वारा वर्ष 2025-26 में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम विभिन्न हो सकते हैं । वर्ष 2024 में प्रदान किए गए कुछ पाठ्यक्रमों का किसी भी संस्थान में नहीं होने की सम्भावना है अथवा उनमें संशोधन (पाठ्यक्रम शीर्षक तथा / अथवा विषयवस्तु) हो सकता है। यह भी संभव है कि कुछ नए पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित किए जाएँगे। अतिरिक्त आवश्यकताओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है । सीट आवंटन के लिए विकल्पों को भरते समय, अंतिम सूची JOSAA 2025 ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध होगी ।

32 महत्वपूर्ण तिथियाँ

जेईई (उच्च) 2025 एवं AAT 2025 से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों की महत्वपूर्ण तिथियां अनुलग्नक - IV में प्रस्तुत की गई हैं। यदि दिनांक में कोई परिवर्तन हो, केवल आधिकारिक वेबसाइट (https://jeeadv.ac.in) पर प्रकाशित किया जाएगा । इसलिए अभ्यर्थियों को अद्यतन सूचनाओं से अवगत बने रहने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पढ़ने की सलाह दी जाती है ।

33 प्रश्न/शिकायतें

जेईई (उच्च) 2025 के सभी चरण, इस सूचना विवरणिका के अनुसार, पारदर्शिता के साथ संचालित किए जाएंगे । यदि जेईई (उच्च) 2025 से संबंधित कोई शिकायत या प्रश्न हो, तो अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण के लिए जेईई (उच्च) 2025 के आयोजन अध्यक्ष को अनुलग्नक - V में दिए गए पते पर लिखना होगा । आयोजन अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025 द्वारा ऐसे प्रश्नों/शिकायतों पर लिए गए निर्णय अंतिम होंगे ।

34 हिंदी सूचना विवरणिका

यह सूचना विवरणिका अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी प्रकाशित होती है। संदेह या विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

अनुलग्नक

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है।

अनुलग्नक-I
पाठ्यचर्या

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है।

रसायन विज्ञान

सामान्य विषय

परमाणुओं तथा अणुओं की संकल्पना; डाल्टन का परमाणु सिद्धांत; अणु संकल्पना; रासायनिक सूत्र; संतुलित रासायनिक समीकरणों; सामान्य ऑक्सीकरण-अपचयन, उदासीनीकरण, एवं विस्थापन अभिक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए परिकलन (अणु संकल्पना और रससमीकरणमिति(स्टॉइकियोमीट्री)परआधारित); अणु अंश,मोलरटी, मोलेलिटी तथा नॉर्मेलिटी के अनुसार सांद्रता ।

द्रव्य की अवस्थाएं: गैस एवं द्रव

गैस नियम एवं आदर्श गैस समीकरण, ताप का परम मापक्रम; आदर्शता, वान्डरवाल्स समीकरण से विचलन ; गैस का गतिज सिद्धांत, औसत, वर्ग-माध्य-मूल तथा सर्वाधिक प्रायिक वेग व तापमान के साथ उनका संबंध; आंशिक दाब नियम; गैसों का विसरण; अंतराआण्विक अभिक्रिया: प्रकार, दूरी निर्भरता और गुणधर्मों पर उनका प्रभाव; द्रव: वाष्पदाब, पृष्ठीय तनाव, श्यानता।

परमाणु संरचना

बोहर मॉडल, हाईड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम; कण-तरंग द्वैतवाद, डी ब्रोग्ली परिकल्पना; अनिश्चतता सिद्धांत; हाइड्रोजन परमाणु का गुणात्मक क्वांटम यांत्रिकीय चित्र: ऊर्जा, क्वांटम संख्या, तरंग प्रकार्य और प्रायिकता घनत्व (केवल प्लॉट), एस, पी तथा डी आर्बिटलों(कक्षकों) के आकार; ऑफबाउ नियम; पाउली का अपवर्जन सिद्धांत तथा हुन्ड नियम।

रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना

आर्बिटल (कक्षीय)अतिव्याप्ति तथा सहसंयोजक आबंध; केवल एस, पी तथा डी आर्बिटलों को शामिल करते हुए संकरण; समन्यूक्लिीय द्विपरमाणुक स्पीशीज हेतु आण्विक आर्बिटल ऊर्जा आरेख (Ne_2 तक); हाइड्रोजन आबंध; अणुओं में ध्रुवणता, डाइपोल आघूर्ण; अणुओं के वी.एस.ई.पी.आर. मॉडल और आकार (रैखिक, कोणीय, त्रिकोणीय, वर्गाकार, समतली, पिरैमिडी, वर्गाकार पिरैमिडी, तिकोनी द्विपिरैमिडी, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय)

रासायनिक ऊष्मागतिकी

गहन एवं विस्तीर्ण प्रकृति, अवस्था फलन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम; आंतरिक ऊर्जा, कार्य (केवल दाब-आयतन) तथा ऊष्मा; पूर्ण ऊष्मा (एन्थैल्पी), ऊष्मा धारिता, मानक अवस्था, हेस नियम; अभिक्रिया की (एन्थैल्पी) उष्मा , संलयन तथा वाष्पन, और जालक उष्मा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम; एन्ट्रॉपी; गिब्ज ऊर्जा; साम्य एवं स्वतःस्फूर्ति की कसौटी ।

रासायनिक एवं आयनी साम्य

द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, रासायनिक साम्य में △G तथा △ G^0 की सार्थकता; साम्य स्थिरांक (K_p और K_c) एवं अभिक्रिया भागफल, ला-शातैलिए नियम (सांद्रता, तापमान एवं दाब का प्रभाव); विलेयता गुणनफल और इसके अनुप्रयोग, (उभयनिष्ठ)सामान्य आयन प्रभाव, pH तथा बफर विलयन; अम्ल तथा क्षारक (ब्रन्सटेद तथा लूइस संकल्पनाएं); लवणों का जलापघटन ।

वैद्युतरसायन

वैद्युतरासायनिक सेल्स तथा सेल अभिक्रियाएं; मानक इलैक्ट्रोड विभव; वैद्युतरासायनिक कार्य, नेर्नस्ट समीकरण: वैद्युतरासायनिक श्रेणियां, गैल्वैनी सेलों का विद्युतवाहक बल; फैराडे वैद्युतअपघटन नियम; विद्युतअपघटनी चालकत्व, विशिष्ट तुल्यांक तथा ग्राम-अणुक चालकता, कोलराऊश नियम; बैटरी: प्राथमिक एवं द्वितीयक, फ्यूल सेल्स; संक्षारण।

रासायनिक बलगतिकी

रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें; अभिक्रियाओं की कोटि और अणुसंख्यता; दर नियम, दर स्थिरांक, अर्ध जीवन काल; शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए अवकल विभेदक और समाकलित दर व्यंजक अभिव्यक्ति और; दर स्थिरांक की तापमान निर्भरता (आर्रेनियस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा); उत्प्रेरण: समांगी और विषमांगी, ठोस उत्प्रेरकों की गतिविधि और वरणात्मकता, एन्जाइम उत्प्रेरण और इसकी क्रियाविधि।

ठोस अवस्था

ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय अवस्था, सात क्रिस्टल तंत्र [कोशिका प्राचल ए,बी,सी, अल्फा, बीटा, गामा (a, b, c, α, β, γ)], ठोसों की निविड संकुलित संरचना (घनाकार और षट्कोणीय), एफ.सी.सी. ,बी.सी.सी. तथा एच.सी.पी. जालकों में संकुलन ; निकटतम प्रतिवेशी, आयनी त्रिज्या, त्रिज्या अनुपात, बिंदु दोष।

विलयन

हेनरी नियम; राउल्ट नियम; आदर्श विलयन; अणुसंख्य गुणधर्म: वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और परासरण दाब; वांट हॉफ गुणक(फैक्टर)।

पृष्ठीय रसायन विज्ञान

अधिशोषण की प्रारंभिक संकल्पना: भौतिक शोषण और रसोवशोषण, फ्रायंडलिचक अधिशेषण समताप वक्र (इज़ोथर्म); कोलॉइडः प्रकार, विरचन विधि तथा सामान्य गुण धर्म; इमल्शनों के प्रारंभिक विचार, पृष्ठ संक्रियक तथा मिसेल (केवल परिभाषाएं तथा उदाहरण)।

तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवधिकता

आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप; तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास; आणविक त्रिज्या में आवधिक प्रवृत्ति, आयनी त्रिज्या, आयनन एनथैलेपी, इलेक्ट्रॉन लब्धि (गेन) एनथैलेपी, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युतऋणात्मक, और रासायनिक अभिक्रियाशीलता।

हाइड्रोजन

आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान उपस्थिति, अकरन्स ,समस्थानिक, तैयार करने की विधि, हाइड्रोजन के गुणधर्म और उपयोग; हाइड्राइड – आयनी, सहसंयोजक और अंतराकाशी; जल और भारी जल के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म ; हाइड्रोजन पेरोक्साइड-विरचन, अभिक्रिया, उपयोग और संरचना; ईंधन के रूप में हाइड्रोजन।

एस-ब्लॉक तत्व

वायु, जल, डाइहाइड्रोजन, हैलोजन, अम्ल के प्रति क्षार एवं क्षारीय पृथ्वी धातु-अभिक्रियाशीलता; द्रव अमोनिया में विलयन सहित उनकी अपचायी प्रकृति; इन तत्वों का उपयोग; उनके आक्साइड, हाइड्रॉक्साइड, हैलाइड्स, ऑक्सोएसिड के लवण के सामान्य अभिलक्षण; लिथियम और बेरिलियम का असंगत व्यवहार;तैयार करने की विधि, गुण-धर्म, और सोडियम (सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट) और कैल्शियम (कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट) के यौगिकों का उपयोग।

पी-ब्लॉक तत्व

ग्रुप 13-17 के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता में ऑक्सीकरण अवस्था और प्रवृत्तियां, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फ्लोरीन के उनके संबंधित समूहों में अन्य तत्वों के संबंध में असंग गुणधर्म।

ग्रुप *13: अम्ल*, क्षार और हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता; बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, डिबोराने, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ऐलुमिनियम क्लोराइड, और ऐलम्स; बोरॉन और ऐलुमिनियम के उपयोग।

समूह 14: जल और हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता; कार्बन के अपरूप और कार्बन के उपयोग; कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकोन, सिलिकेट्स, जिओलाइट्स के तैयार करने की विधि,, गुणधर्म और उपयोग।

समूह 15: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता; फास्फोरस के अपररूप; डाइनाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की तैयार करने की विधि, गुणधर्म और उपयोग; नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्सोएसिड।

समूह 16: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता; सरल आक्साइड; सल्फर के अपररूप; डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी/विनिर्माण, गुणधर्म और उपयोग; सल्फर ऑक्सासिड।

समूह 17: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता; क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड और इंटरहैलोजन यौगिकों को तैयार करने की विधि/विनिर्माण, गुणधर्म और उपयोग; हैलोजन के ऑक्सोअम्ल, विरंजक पाउडर।

समूह 18: रासायनिक गुणधर्म और उपयोग; फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जीनॉन के यौगिक।

डी -ब्लॉक तत्व

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ और उनका स्थायित्व; मानक इलेक्ट्रोड विभव; अंतराकाशी यौगिक; मिश्रातु; उत्प्रेरक गुणधर्म; अनुप्रयोग; क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्सोऋणायन तैयारी की विधि, संरचना और अभिक्रियाएँ।

एफ-ब्लॉक तत्व

लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन; ऑक्सीकरण अवस्थाएँ; सामान्य अभिलक्षण।

समन्वय यौगिक

वर्नर सिद्धांत; नामपद्धति, सिस-ट्रांस और आयनन समावयवता, मोनोन्यूक्लियर समन्वय यौगिकों के संकरण और ज्यामिति (रैखिक, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल); बॉन्डिंग [वीबीटी और सीएफटी (ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड)]; चुंबकीय गुण धर्म(स्पिन-ओनली) और 3डी-श्रृंखला समन्वय यौगिकों का रंग; लिगेंड्स और स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला; स्थायित्व; महत्व और अनुप्रयोग; धातु कार्बोनिल्स।

धातुओं का विलगन

धातु अयस्क और उनका सांद्रण; सांद्रित अयस्कों से कच्चे धातु का निष्कर्षण: धातुकर्मिकी के ऊष्मागतिक (थर्मोडायनामिक) (लौह, तांबा, जस्ता) और वैद्युतरासायनिक(इलेक्ट्रोकेमिकल) (ऐलुमिनियम) सिद्धांत; सायनाइड प्रक्रम (चांदी और सोना); परिष्करण।

गुणात्मक विश्लेषण के सिद्धांत

ग्रुप I से V (केवल Ag+, Hg2+, Cu2+, Pb2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Ca2+, Ba2+, Zn2+, Mn2+ और Mg2+); नाइट्रेट, हैलाइड्स (फ्लोराइड को छोड़कर), कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड।

पर्यावरणी रसायन

वायुमंडलीय प्रदूषण; जल प्रदूषण; मृदा प्रदूषण; औद्योगिक कचरा; पर्यावरणी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियाँ; हरित रसायन।

कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत

कार्बन का संकरण; σ और π-बांड; सरल कार्बनिक अणुओं के आकार; ऐरोमैटिकता; संरचनात्मक और ज्यामितीय समावयवता; केवल दो असममित केंद्रों (आर, एस और ई, जेड कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर) वाले यौगिकों के त्रिविमसमावयव(स्टीरियोइसोमर्स) और त्रिविमरासायनिक(स्टीरियोकेमिकल) संबंध (एनेंटिओमर्स(प्रतिबिंब), डायस्टेरोमर्स (अप्रतिबिंबी त्रिविम समावयव), मेसो); केवल दहन विधि द्वारा सरल यौगिकों के मूलानुपाती और आणविक सूत्रों का निर्धारण; कार्बनिक अणुओं का IUPAC नामपद्धति (हाइड्रोकार्बन, सरल चक्रीय हाइड्रोकार्बन और उनके मोनो-क्रियात्मक और द्वि-क्रियात्मक डेरिवेटिव सहित); हाइड्रोजन आबंधन प्रभाव; प्रेरणिक, अनुनाद और अतिसंयुग्मित प्रभाव; कार्बनिक यौगिकों की अम्लता और क्षारकता; समापघटनीय (होमोलिटिक) और विषमअपघटनी (हेटेरोलिटिक) आबंध विदलन (बॉन्ड क्लीवेज) के दौरान उत्पादित अभिक्रिया मध्यवर्ती: कार्बोकेशन, कार्बऋणायन और मुक्त मूलकों (फ्री रेडिकल्स) का संभवन (निर्माण), संरचना और स्थायित्व।

ऐल्केन

समजात श्रेणी; भौतिक गुणधर्म (गलनांक, क्वथनांक और घनत्व) और उन पर शाखन का प्रभाव; एथेन और ब्यूटेन के संरूपण (केवल न्यूमैन प्रोजेक्शन); ऐल्किल हैलाइड़ और ऐलिफैटिक कार्बोक्जिलिक एसिड के तैयारी की विधि; अभिक्रियाएं: दहन, हैलोजनन (ऐलिलिक और बेन्जिलिक हैलोजनन सहित) और ऑक्सीकरण।

ऐल्कीन और ऐल्काइन

भौतिक गुणधर्म (क्वथनांक, घनत्व और द्विध्रुव आघूर्ण); निराकरण अभिक्रियाओं द्वारा तैयारी की विधि; एसिड उत्प्रेरित जलयोजन (योग और निराकरण के त्रिविम रसायन को छोड़कर); धातु ऐसीटिलाइड्स; ऐल्कीन की KMnO4 और ओजोन के साथ अभिक्रिया; ऐल्कीन और ऐल्काइन्स का अपचयन; X2, HX, HOX, (X=हैलोजन) के साथ ऐल्कीनों की इलेक्ट्रॉनरागी (इलेक्ट्रोफिलिकः) योगज अभिक्रियाएं; योगज अभिक्रियाओं पर परॉक्साइड (पेरोक्साइड) का प्रभाव; ऐल्काइन की चक्रीय बहुलकन (पोलीमराइज़ेशन) अभिक्रिया।

बेन्ज़ीन

संरचना; इलेक्ट्रॉनरागी (इलेक्ट्रोफिलिक) प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ: हैलोजनन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐल्किलन और ऐसिलन; इन अभिक्रियाओं में दिशिक (निर्देशन) ग्रपु (मोनोसबस्टिट्यूटेड बेंजीन) का प्रभाव।

फीनॉल

भौतिक गुणधर्म; तैयारी, फीनॉल की इलेक्ट्रॉनरागी (इलेक्ट्रोफिलिक) प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं : हैलोजनन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइमर टीमन (रीमर-टिएमैन) अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया; एस्टरीकरण ईथरीकरण; ऐस्पिरिन संश्लेषण; फीनॉल की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं।

ऐल्किल हैलाइड्स (अल्काइल हैलाइड्स)

ऐल्किल कार्बोकेशन की पुनर्विन्यास अभिक्रियाएँ; ग्रिग्नार्ड अभिक्रियाएँ; नाभिकरागी (न्यूक्लियोफिलिक) प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ और उनके त्रिविम रासायनिक (स्टीरियोकेमिकल) पहलुएं।

ऐल्कोहॉल

भौतिक गुणधर्म; अभिक्रियाएँ: एस्टरीकरण, निर्जलन (ऐल्कीन्स और ईथर का संभवन); अभिक्रियाएँ: सोडियम, फॉस्फोरस हैलाइड्स, ZnCl2/सांद्रित HCl, थयोनील क्लोराइड के साथ; ऐल्कोहॉल का ऐल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल में रूपांतरण।

ईथर्स

विलियमसन के संश्लेषण द्वारा तैयारी की विधि; सी-ओ आबंध विदलन अभिक्रियाएँ ।

ऐल्डिहाइड्स और कीटोन्स

तैयारी की विधि: एसिड क्लोराइड और नाइट्राइल से ऐल्डिहाइड और कीटोन्स; एस्टर से ऐल्डिहाइड; टॉलूईन (टोल्यूनि) और बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड; अभिक्रियाएँ: ऑक्सीकरण, अपचयन (न्यूनीकरण), ऑक्सिम और हाइड्रैज़ोन संभवन; ऐल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया; हैलोफॉर्म अभिक्रिया; RMgX, NaHSO3, HCN, ऐल्कोहॉल, ऐमीन के साथ नाभिकरागी (न्यूक्लियोफ़िलिक) योगज अभिक्रिया।

कार्बोक्सिलिक अम्ल

भौतिक गुणधर्म; तैयार करने की विधि: नाइट्राइल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों, एस्टर और ऐमाइड्स के जल अपघटन (हाइड्रोलिसिस) से; ऐल्किलबेंजीन से बेंजोइक अम्ल की तैयारी की विधि; अभिक्रियाएँ: अपचयन, हैलोजनन, एस्टर, एसिड क्लोराइड और ऐमाइड्स का संभवन।

ऐमीन्स

नाइट्रो यौगिकों, नाइट्राइल्स और ऐमाइड्स से तैयारी की विधि; अभिक्रियाएँ: हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण, गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण; नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया, ऐरोमैटिक ऐमीन के डाइऐजोनियम लवण की ऐज़ो युग्मन अभिक्रिया; डाइऐज़ोनियम लवण की सैंडमेयर और संबंधित अभिक्रियाएं; कार्बिलऐमीन अभिक्रिया, हिंसबर्ग परीक्षण, ऐल्किलन और ऐसिलन अभिक्रियाएं।

हेलोएरीन

अभिक्रियाएं: फिटिग, वुर्टस-फिटिग; हेलोएरीन और प्रतिस्थापित हेलोएरीन (बेंजीन तंत्र और सिने प्रतिस्थापन को छोड़कर) में नाभिकरागी (न्यूक्लियोफिलिक) एरोमैटिक प्रतिस्थापन ।

जैवाणु (**जैविक अणु)**

कार्बोहाइड्रेट्स: वर्गीकरण; मोनो तथा द्वि-सैकेराइड (ग्लूकोज तथा सुक्रोस); ऑक्सीकरण, अपचयन, ग्लाइकोसाइड संभवन तथा डिसाकाईड्स (सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज) का जल अपघटन (हाइड्रोलिसिस); एनोमर्स।

प्रोटीन: ऐमीनो अम्ल ; पेप्टाइड लिंकेज; पेप्टाइड्स की संरचना (प्राथमिक और माध्यमिक); प्रोटीन के प्रकार (रेशेदार और गोलिकाकार ।
न्यूक्लीक अम्ल: डीएनए और आरएनए का रासायनिक संघटन और संरचना।

बहुलक (पॉलिमर)

बहुलकन (पोलीमराइज़ेशन) के प्रकार (योगज, संघनन; होमो (सम) और सहबहुलक (कॉपोलिमर); प्राकृतिक रबर; सेलुलोस (सेल्युलोज); नाइलॉन; टेफ्लान; बेकेलाइट; पीवीसी; जैवनिम्ननीय (बायो-डिग्रेडेबल) बहुलक; बहुलक के अनुप्रयोग।

रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन -विज्ञान

औषध-टारगेट अन्योन्यक्रिया; प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामिन, प्रशांतक (ट्रैंकक्विलाइज़र),पीडाहारी (एनाल्जेसिक), प्रतिसूक्ष्मजीवी और एंटीफर्टिलिटी औषधों की चिकित्सीय कार्रवाई, और उदाहरण (संरचनाओं को छोड़कर); कृत्रिम मधुरण कर्मक (केवल नाम); साबुन, अपमार्जक (डिटर्जेंट) और निर्मलन कर्मक।

प्रायोगिक कार्बनिक रसायन

तत्वों का संसूचन (एन, एस, हैलोजन); निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समूहों का संसूचन तथा पहचान: हाइड्राक्सिल (ऐल्कोहॉली तथा फिनॉलिक), कार्बोनिल (ऐल्डिहाइड तथा कीटोन), कार्बोक्सिल, ऐमीनो तथा नाइट्रो।

गणित

समुच्चय(सेट), संबंध और फलन (कार्य)

समुच्चय और उनके प्रतिनिधित्व, विभिन्न प्रकार के समुच्चय (रिक्त, परिमित और अनंत), समुच्चय के बीजगणित, प्रतिच्छेद,पूरक, समुच्चय के अंतर और सममित अंतर और उनके बीजगणितीय गुण, डी-मॉर्गन के यूनियन, प्रतिच्छेद अंतर (परिमित संख्या के समुच्चय लिए) और उन पर आधारित व्यावहारिक प्रोब्लेम्स।
परिमित समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, क्रमित युग्मल, संबंध, संबंधों का डोमेन और कोडोमेन, तुल्यता संबंध।
संबंध के एक विशेष मामले के रूप में फलन (कार्य), मैपिंग (प्रतिचित्रण) के रूप में फलन (कार्य), डोमेन, कोडोमेन, फलनों का परिसर, व्युत्क्रमणीय फलन, सम और विषम फलन (कार्य), इनटु, ऑन्टु और वन -टू-वन फलन, विशिष्ट फलन (बहुपद, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी फलन, लघुगणकीय, पॉवर, निरपेक्ष मान, सबसे बड़ा पूर्णांक, आदि), योग, अंतर, गुणनफल (उत्पाद) और फलनों का संयोजन ।

बीजगणित

संमिश्र संख्याओं का बीजगणित, योग, गुणन, संयुग्मन, ध्रुवीय निरूपण, मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के गुण, त्रिकोणीय असमता, यूनिटी के घनमूल, ज्यामितीय इन्टर्प्रेटेशन।

बीजगणित के मूलभूत प्रमेय का कथन, वास्तविक गुणांकों के साथ द्विघातीय समीकरणों, मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध, दिए गए मूलों से द्विघाती समीकरणों की रचना, मूलों के सममित फलन ।

अंकगणितीय, और गुणोत्तर श्रेढ़ी, अंकगणितीय और गुणोत्तर माध्य, परिमित अंकगणितीय तथा गुणोत्तर श्रेढियों के योगफल, अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योगफल।

लघुगणक तथा उनके गुण, क्रमचय एवं संचय, एक धनात्मक पूर्णांकीय (अभिन्न) सूचकांक हेतु द्विपद प्रमेय, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म

मैट्रिक्सस (आव्यूह)

वास्तविक संख्याओं की एक आयताकार सारणी के रूप में मैट्रिक्सें, मैट्रिक्सों की समानता, मैट्रिक्सों के एक स्केलर तथा गुणनफल द्वारा योग तथा गुणन, किसी मैट्रिक्स का पक्षांतर, प्रारंभिक पंक्ति एवं स्तंभ ट्रॉन्सफर्मेशन, तीन तक की कोटि की वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक (डिटरमिनेंट), मैट्रिक्स कीअड्जाइंट,तीन तक की कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स का प्रतिलोम, इन मैट्रिक्स संक्रियाओं के गुण, विकर्ण, सममित तथा विषम-सममित मैट्रिक्सें तथा उनके गुणधर्म, दो या तीन चरों में युगपत् रैखिक समीकरणों के हल ।

प्रायिकता (संभाव्यता) और सांख्यिकी

यादृच्छिक प्रयोग, प्रतिदर्श स्थान, विभिन्न प्रकार की घटनाएँ (असंभव, सरल, संयुक्त), प्रायिकता के योग तथा गुणन नियम, सप्रतिबंध प्रायिकता, , घटनाओं का स्वातंत्र्य, समग्र प्रायिकता,बेज प्रमेय, क्रमचय एवं संचय का उपयोग करते हुए घटनाओं की प्रायिकता का अभिकलन ।

केंद्रीय प्रवृत्ति और विचलन का माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, मानक विचलन और समूहीकृत और गैर-समूहीकृत डेटा का मानक विचलन एवं अन्तर, समान माध्य लेकिन भिन्न अन्तर के साथ आवृत्ति वितरण का विश्लेषण , यादृच्छिक चर, माध्य और यादृच्छिक चर का विचलन ।

त्रिकोणमिति

त्रिकोणमितीय फलन, उनकी पीरीअडिसिटी तथा ग्राफ, योग एवं व्यवकलन सूत्र, बहुल तथा उप-बहुल कोणों वाले सूत्र, त्रिकोणमितीय समीकरणों के सामान्य हल ।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन (केवल मूल मान) और उनके मूल गुण।

विश्लेषणात्मक ज्यामिति

दो विमाएं: कार्तीय निर्देशांक, दो बिन्दुओं के बीच की दूरी, खंड सूत्र, मूल बिंदु का विस्थापन ।

विभिन्न रूपों में एक सरल रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के बीच कोण, किसी रेखा से किसी बिन्दु की दूरी, दी गई दो रेखाओं के प्रतिछेदन बिन्दु से गुजरने वाली रेखा, दो रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक का समीकरण, रेखाओं का संगमन, किसी त्रिकोण का केन्द्रक, लंब केंद्र, अंतःकेन्द्र तथा परिकेंद्र ।

विभिन्न रूपों में किसी वृत्त की समीकरण, स्पर्शरेखा, सरल तथा ज्या के समीकरण।
वृत के पैरामीट्रिक समीकरण, किसी वृत्त का एक सरल रेखा या किसी वृत्त से प्रतिछेदन, दो वृत्तों के, तथा किसी वृत्त व सरल रेखा के प्रतिछेदन बिंदु से गुजरने वाले किसी वृत्त का समीकरण ।

मानक रूप में एक परवलय, दीर्घवृत्त (इलिप्स) तथा अतिपरवलय के समीकरणों, उनके संकेद्र, डायरेक्ट्रिसिज तथा उत्केंद्रता, प्राचलिक समीकरणें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा के समीकरणें ।
विस्थल (लोकस) प्रोब्लेम्स ।
तीन विमाएं: दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दिशा कोसाइन और दिशा अनुपात, अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा का समीकरण, तिरछी रेखाएँ, दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, एक समतल का समीकरण, एक तल से एक बिंदु की दूरी, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो तलों के बीच का कोण , एक रेखा और समतल के बीच का कोण, समतलीय रेखाएँ।

अवकल गणित

एक वास्तविक नंबर में फलन सीमा, एक फलन की कंटिन्यूटी , , दो फलनों का जोड़, अंतर, गुणनफल तथा भागफल, फलन सीमा की सीमा व कंटिन्यूटि , फलन की सीमा के मूल्यांकन का एल हास्पिटल नियम।
सामासिक फलन की कंटिन्यूटी , कंटिन्यूवस फलन के मध्यवर्ती मान गुणधर्म, फलन के अवकलज, दो फलनों के योग ,अंतर, गुणनफल तथा भागफल के अवकलज,श्रृंखला नियम, बहुपद (पोलीनोमियल), परिमेय, त्रिकोणमितीय, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय,चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन ।

स्पर्शरेखा और अभिलंब, बढ़ते और घटते फलन, क्रम दो के अवकलज (डेरिवेटिव), एक फलन के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य, रोले के प्रमेय और लैग्रेंज के औसत मूल्य प्रमेय, दो प्रमेयों की ज्यामितीय व्याख्या, अस्पष्ट फलन के दो क्रम तक अवकलज (डेरिवेटिव), अवकलज (डेरिवेटिव) की ज्यामितीय व्याख्या।

समाकलन गणित

अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया के रूप में समाकलन, मानक फलनों के अनिश्चित समाकल, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकल, निश्चित समाकल एवं उनके गुणधर्म, समाकलन गणित की मूल प्रमेय ।

अंशों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न तथा प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, साधारण वक्र वाले क्षेत्रफलों के निर्धारण में निश्चित समाकलों का अनुप्रयोग ।साधारण अवकल समीकरणों की रचना,प्रथम आर्डर, प्रथम डिग्री के समांग अवकल समीकरणों के हल, चरों के पृथक्करण की विधि, रैखिक प्रथम आर्डर अवकल समीकरणें ।
सदिश

वेक्टर

वेक्टरों का योग, अदिश गुणन, बिंदु तथा क्रॉस गुणनफल, अदिश तथा सदिश ट्रिपल गुणनफल तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्याएं ।

भौतिकी

सामान्य

सामान्य इकाइयां तथा विमांए, विमीय विश्लेषण; अल्पतमांक, सार्थक अंक; निम्नलिखित प्रयोगों से संबंधित भौतिक मात्राओं हेतु मापन के तरीके तथा त्रुटि विश्लेषण: वर्निअर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज (माइक्रोमीटर) के उपयोग पर आधारित प्रयोग, सरल लोलक का उपयोग करते हुए g का निर्धारण, यंग मापांक –सामग्री की प्रत्यास्थता,केशिकीय उत्थान विधि द्वारा जल का पृष्ठीय तनाव और अपमार्जक का प्रभाव। कैलोरीमापी (कैलोरीमीटर) का उपयोग करते हुए किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, u-v विधि का उपयोग करते हुए किसी अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अनुनादी स्तंभ का उपयोग करते हुए आवाज की गति, वोल्टमापी तथा ऐमीटर के द्वारा ओम नियम का सत्यापन, तथा पोस्ट आफिस बॉक्स व मीटरब्रिज़ का उपयोग करते हुए किसी तार की सामग्री का विशिष्ट प्रतिरोध ।

यांत्रिकी

एक तथा दो विमाओं में शुद्धगतिकी (केवल कार्तीय निर्देशांक, प्रक्षेप्य; एकसमान वृत्तीय गति, आपेक्षिक वेग ।

न्यूटन गति नियम; निर्देश (रेफेरेन्स) के जड़त्वीय तथा एकसमान रूप से त्वरित फ्रेम; स्थैतिक तथा गतिक घर्षण; गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा; कार्य एवं शक्ति; रैखिक संवेग तथा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण ।

कण तंत्र; द्रव्यमान केन्द्र तथा उसकी गति ; आवेग; प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्य ।

दृढ़ पिंड, जड़त्व आघूर्ण, समानांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय, सरल ज्यामितीय आकारों के साथ एकसमान पिंडों का जड़त्व आघूर्ण; कोणीय संवेग; बल आघूर्ण; कोणीय संवेग का संरक्षण; घूर्णन के निश्चित अक्ष वाले साथ दृढ़ पिंडों की गतिकी; वलय, सिलिंडर और गोलों का बिना फिसलन रोलिंग; दृढ़ पिंडों का संतुलन; दृढ़ पिंडों वाले बिंदु द्रव्यमान का संघट्ट। प्रणोदित और अवमंदित दोलन (एक आयाम में), अनुनाद।

रैखिक तथा कोणीय सरल आवर्त गति।

हुक नियम, यंग मापांक ।

गुरुत्वाकर्षण नियम; गुरुत्वीय विभव और क्षेत्र; गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण त्वरण; केप्लर नियम, भूस्थिर कक्षाएँ, वृत्ताकार कक्षाओं में ग्रहों और उपग्रहों की गति; पलायन वेग (एस्केप वेलोसिटी)।
द्रवों में दाब; पॉस्कल नियम; उत्प्लावन; पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठीय तनाव, संस्पर्श कोण, बूंदें, बुदबुदें और केशिकीय उत्थान; श्यानता (विस्कोसिटी) (प्वाजय समीकरण को छोड़कर), दृढ़ता मापांक तथा बलविज्ञान में आयतन मापांक, स्टोक्स नियम; अंतिम वेग, धारारेखी प्रवाह, सांतत्य समीकरण, बर्नूली प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग । तरंग गति (केवल समतल तरंगें), अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगें, तरंगों का अध्यारोपण; प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगें ; रज्जुओं और वायु स्तम्भों का कंपन; अनुनाद; विस्पंद (बीट्स); गैसों में ध्वनि की चाल; डॉप्लर प्रभाव (ध्वनि में) ।

ऊष्मीय भौतिकी

ठोसों, द्रवों एवं गैसों का तापीय प्रसार; कैलोरीमिति, गुप्त ऊष्मा; एक आयाम में ऊष्मा चालन; संवहन तथा विकिरण की मूल संकल्पनाएं ; न्यूटन शीतलन नियम ; आदर्श गैस नियम ; विशिष्ट ऊष्माएं (एक परमाणुक तथा द्विपरमाणुक गैसों के लिए C_v तथा C_p); समतापी तथा रुद्धोष्म (ऐडियाबैटिक) प्रक्रम, गैसों के आयतन मापांक; ऊष्मा और कार्य की तुल्यता ; ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तथा इसके अनुप्रयोग (केवल आदर्श गैसों के लिए); ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, कार्नोट इंजन और उसकी दक्षता, कृष्णिका विकिरण: अवशोषी और उत्सर्जन शक्तियां (अंतर्लयन तथा उत्सर्जन क्षमताएं) ; किरखोफ नियम; वीन विस्थापन नियम, स्टेफान नियम ।

विद्युत तथा चुंबकत्व

कूलॉम नियम; विद्युत क्षेत्र तथा विभव; एक एकसमान स्थिरवैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव (डाइपोल) तथा बिंदु आवेशों की किसी प्रणाली की वैद्युत विभव ऊर्जा; विद्युत क्षेत्र लाइनें; विद्युत क्षेत्र का अभिवाह; गाउस (गौस) नियम तथा अपरिमित लंबे सीधे तार, एकसमान आवेशित अपरिमित समतल शीट तथा एकसमान आवेशित पतले गोलाकार शेल के कारण क्षेत्र का पता लगाना जैसे साधारण मामलों में इसके अनुप्रयोग ।
धारिता; परावैद्युतिकी के साथ तथा इसके बिना समांतर प्लेट संधारित्र; श्रेणी तथा पाश्र्व (समांतर) में संधारित्र; किसी संधारित्र में भंडारित ऊर्जा ।
विद्युत धारा ; ओम नियम; प्रतिरोधों तथा सेलों की श्रेणी एवं पाश्र्व (समांतर) व्यवस्थाएं ; किरखोफ नियम तथा इसके साधारण अनुप्रयोग; विद्युत धारा का तापन प्रभाव ।
बायो-सवार्ट नियम तथा ऐम्पियर नियम; करंट कैरीइंग एक ऋजु तार के समीप चुम्बकीय क्षेत्र, एक वृत्तीय कुण्डली के अक्ष के साथ और लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र; किसी एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में एक चल आवेश तथा विद्युत धारा-वहन तार पर बल ।
किसी विद्युत धारा पाश का चुम्बकीय आघूर्ण; किसी विद्युत धारा पाश पर एक एकसमान चुंगकीय क्षेत्र का प्रभाव; चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, वोल्टमापी, ऐमीटर तथा उनके रूपांतरण ।
वैद्युतचुंबकीय प्रेरण: फैराड़े नियम, लेन्ज नियम; स्व तथा पारस्परिक प्रेरकत्व; d.c. तथा a.c. स्रोतों के साथ RC, LR, LC तथा LCR परिपथ (श्रेणी में) ।

वैद्युत चुम्बकीय तरंगें

वैद्युतचुम्बकीय तरंगें और उनके अभिलक्षण। वैद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम (रेडियो तरंगें, सूक्ष्मतरंग, अवरक्त, दृश्यमान, पराबैंगनी, एक्स-रे, गामा किरणें) उनके उपयोग के बारे में प्राथमिक तथ्यों सहित।

प्रकाशिकी (**प्रकाश विज्ञान)**

प्रकाश का रैखिक संचरण; समतल तथा गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन; पूर्ण आंतरिक परावर्तन; किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन तथा परिक्षेपण; पतले लैंस; दर्पण तथा पतले लैंसों का संयोजन; आवर्धन ।

प्रकाश की तरंग प्रकृति: हाइगेन्स सिद्धांत, यंग के द्विरेखाछिद्र प्रयोग तक सीमित व्यतिकरण ।
एकल रेखाछिद्र के कारण विवर्तन। प्रकाश का ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश; ब्रूस्टर नियम, पोलेरॉइड्स।

आधुनिक भौतिकी
परमाणु नाभिक ; अल्फा, बीटा तथा गामा (α, β तथा γ) विकिरण; रेडियोसक्रिय क्षय का सिद्धांत;
क्षय स्थिरांक; अर्धायु तथा माध्य आयु ; बंधन ऊर्जा तथा उसका परिकलन ; विखंडन तथा संगलन प्रक्रम; इन प्रक्रमों में ऊर्जा परिकलन ।
प्रकाश विद्युत प्रभाव; हाइड्रोजन- सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत ; अभिलक्षणिक तथा सतत एक्सरे, मोज्ले नियम; द्रव्य तरंगों का डि ब्रोग्ली तंरग दैर्ध्य ।

वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा

मुक्तहस्त आरेखण
इसमें पूरी वस्तु को उसके सही रूप तथा अनुपात में चित्रित करते हुए सरल आरेखण सम्मिलित होगा , सतह बनावट, उचित पैमाने में सापेक्ष अवस्थिति तथा इसके पुर्जों का विवरण । स्मृति से सामान्य घरेलू या दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं जैसे कि फर्नीचर, उपकरण आदि, ।

ज्यामितिक आरेखण

रेखा, कोण, त्रिकोण, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त आदि युक्त ज्यामितिक आरेखण में अभ्यास । अनुविक्षेप का अध्ययन (शीर्ष दृश्य), साधारण ठोस वस्तुओं जैसे कि प्रिज्म, शंकु, सिलिन्डर, घन, ढलुआ फलक धारकों, आदि जैसी सरल ठोस वस्तुओं के उन्नयन (अग्रभाग या पाश्र्व दृश्य) ।

त्रि-विमीय प्रत्यक्षण

रचना तत्वों, रंग, आयतन तथा अभिविन्यास के साथ त्रि-विमीय रूपों का बोध व गुणविवेचन । स्मृति में संरचना वस्तुओं के द्वारा मानस-प्रत्यक्षीकरण ।

कल्पना तथा कलावादी संवेदनशीलता

दिए गए घटक अवयवों के साथ रचना अभ्यास । संदर्भ प्रतिचित्रण । परिचित वस्तुओं के साथ नवप्रवर्तनीय असाधारण परीक्षण के द्वारा रचनात्मक्ता जांच । रंग समूहन या अनुप्रयोग का ज्ञान ।

वास्तु-जागरूकता

संबंधित डोमेन में, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों प्रसिद्ध वास्तु सृजनों, स्थानों, एवं व्यक्तियों (वास्तुकलाविदों, रूपकारों आदि) में सामान्य रुचि एवं जागरूकता ।

अनुलग्नक-II:
प्रमाणपत्रों के प्रारूप

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

फॉर्म - सामान्य- ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

------------------------------ सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. ________________________ दिनांक ______________________

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_________________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी _________________________________स्थाई निवासी ______________________ गांव/गली___________________________डाकघर________________________________जिला________________ _____________राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ________________________ पिन कोड__________________________ जिसकी सत्यापित तस्वीर नीचे दी गई है वह आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से संबंध रखता/रखती है। चूंकि उसके ''**परिवार**''** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये केवल) से कम है । इनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति*** नहीं है ।

I. 5 एकड़ अथवा इससे अधिक कृषि भूमि।
II. 1000 वर्ग फुट अथवा इससे अधिक का आवासीय फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100-वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200-वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी___________________________, ____________________जाति से संबंध रखता/रखती है इस जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर ___________________________
नाम ___________________________
पदनाम_________________________

अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ

उल्लेखित परिवार के आय तथा परिसंपत्तियों का सत्यापन राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो तहसीलदार पद से नीचे का नहीं हो ।

---

* **टिप्पणी 1**. आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से प्राप्त आय शामिल होगी।

** **टिप्पणी 2**. इस उद्देश्य के लिए **"परिवार"** शब्द में उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है तथा उसके माता-पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा इसमें उसकी पति/पत्नी तथा 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे शामिल होंगे।

*** **टिप्पणी 3**. विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न शहरों में **"परिवार"** द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर स्तर निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा परिसंपत्ति स्वामित्व गणना में शामिल किया जाएगा।

फॉर्म-ओ.बी.सी.-एन.सी.एल.

अन्य पिछड़ा वर्ग –नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अन्तर्गत
केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन करते समय
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)* द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.** ____________________पुत्र/पुत्री** श्री/श्रीमती**____________________निवासी गाँव/नगर**____________________ जिला/मंडल**____________________राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र____________________समुदाय__________के/की है, जिसे भारत सरकार*** के, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____ दिनांक ____________**** के द्वारा एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कु.________________तथा/या ________________उसका परिवार सामान्यत: राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र__________________के जिला/मंडल__________________में रहता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह, भारत सरकार के, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08/09/93, जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(नि.) दिनांक 09/03/2004 द्वारा तथा आगे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था.(नि.) दिनांक 14/10/2008 द्वारा संशोधित व कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/32/2013-स्था.(नि.) दिनांक 30/05/2014 और फिर से संशोधित ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(नि.) दिनांक 13/09/2017 द्वारा पुन:संशोधित किया जा चुका है, की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति / सेक्शन (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं रखता/रखती ।

जिला अधिकारी/
उप आयुक्त/
कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

दिनांक :
मोहर

---

* **राज्य-वार ओबीसी की केंद्रीय सूची पर नवीनतम दिशानिर्देशों तथा अद्यतन के लिए http://www.ncbc.nic.in देखें ।**

** **जो शब्द लागू न होता/होते हों उन्हें काट दें ।**

*** **जैसा कि <u>फॉर्म-ओ.बी.सी.-एन.सी.एल. हेतु अनुलग्नक</u> में सूचीबद्ध है ।**

**** **प्रमाणपत्र जारी किए जाने वाले प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के उस संकल्प के विवरण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया हो ।**

टिप्पणी:

(क) यहाँ उपयोग किए गए वाक्यांश 'सामान्यतः रहता है' का वही अर्थ होगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20 में है ।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने योग्य सक्षम प्राधिकारी का विवरण नीचे दिए गए हैं:

(I) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उप आयुक्त /अतिरिक्त उप आयुक्त / डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से कम कोटि का न हो) ।

(II) मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।

(III) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम कोटि का न हो तथा

(IV) उस क्षेत्र का उप जिलाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी तथा/या उसका परिवार रहता हो ।

(V) किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

फॉर्म-ओ.बी.सी.-एन.सी.एल. हेतु अनुलग्नक

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तिथि
1	सं.12011/68/93-बी.सी.सी.(सी)	13.09.1993
2	सं.12011/9/94-बी.सी.सी.	19.10.1994
3	सं.12011/7/95-बी.सी.सी.	24.05.1995
4	सं.12011/96/94-बी.सी.सी.	09.03.1996
5	सं.12011/44/96-बी.सी.सी.	11.12.1996
6	सं.12011/13/97-बी.सी.सी.	03.12.1997
7	सं.12011/99/94-बी.सी.सी.	11.12.1997
8	सं.12011/68/98-बी.सी.सी.	27.10.1999
9	सं.12011/88/98-बी.सी.सी.	06.12.1999
10	सं.12011/36/99-बी.सी.सी.	04.04.2000
11	सं.12011/44/99-बी.सी.सी.	21.09.2000
12	सं.12015/9/2000-बी.सी.सी.	06.09.2001
13	सं.12011/1/2001-बी.सी.सी.	19.06.2003
14	सं.12011/4/2002-बी.सी.सी.	13.01.2004
15	सं.12011/9/2004-बी.सी.सी.	16.01.2006
16	सं.12011/14/2004-बी.सी.सी.	12.03.2007
17	सं.12011/16/2007-बी.सी.सी.	12.10.2007
18	सं.12020/6/2005-बी.सी.सी.	30.07.2010
19	सं.12015/2/2007-बी.सी.सी.	18.08.2010
20	सं.12015/15/2008-बी.सी.सी.	16.06.2011
21	सं.12015/13/2010-बी.सी.II	08.12.2011
22	सं.12015/5/2011-बी.सी.II	17.02.2014
23	सं 12011/04/2014-बी.सी.-II	14.01.2015
24	सं. 12011/72014-बी.सी.-II	23.01.2015

25	सं 12011/1/2015-बी.सी.-II	27.05.2015
26	सं 12015/05/2011-बी.सी.-II	14.07.2015
27	सं 12011/06/2014-बी.सी.-II	09.09.2015
28	सं 12011/13/2016-बी.सी-II	25.05.2016
29	सं 12011/14/2016-बी.सी.-II	13.06.2016
30	सं 12011/15/2016-बी.सी.-II	30.06.2016
31	सं 12011/4/2014-बी.सी.-II	11.08.2016
32	सं 12011/6/2014-बी.सी.-II	06.12.2016
33	सं 12011/13/2016-बी.सी.-II	22.12.2016
34	सं 20012/1/2017-बी.सी.-II	18.01.2017
35	सं 12011/7/2017-बी.सी.-II	28.07.2017
36	सं 36033/1/2013-स्थापना (निवास)	13.09.2017
37	सं 36033/2/2018-स्थापना (निवास)	08.06.2018

फॉर्म-एस.सी./एस.टी.

<u>अनुसूचित जाति (एस.सी.) / अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फॉर्म

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.* ____पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती* ___________________________________निवासी गाँव/नगर*___________________________________जिला/मंडल*________________________राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र*______________________________ निम्न* के अन्तर्गत _____________________________ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* समुदाय के/की हैः

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* **संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य-क्षेत्र) आदेश, 1951**
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य-क्षेत्र) आदेश, 1951

{अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बोम्बे पुनर्गठन आयोग अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन आयोग अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार}

* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
* संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा किए गए संशोधन के अनुरूप;
* संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित आदेश, 1962 ;
* संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
* संविधान (पुदुच्चेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू एवं काश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991;

2. #यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती* --------------------------------------- पिता/माता* श्री/श्रीमती/कु.*-- निवासी गाँव/नगर*------ --------------------------------- जिला/मंडल*--------------------------------- राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र* ----------------------------को जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र*---में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, ---------- ----------------------------------- द्वारा दिनांक ----------------को जारी किए गए अनुसूचित जाति/जनजाति* प्रमाणपत्र के आधार पर, जारी किया जाता है ।

3. श्री/श्रीमती/कु*---तथा/या* उनका* परिवार सामान्यत: गाँव/नगर*--------------------------------जिला/मंडल*----------- ---------------------------------राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र*----------------------------में रहता है ।**

हस्ताक्षर-------------------
पदनाम-------------------
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थानः----------------------------------- राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र* ---------------------------
दिनांक ------------------------------

* जो शब्द लागू न होता/होते हों, कृपया उन्हें काट दें ।
\# अनुसूचित जाति/जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से आकर निवास कर रहे हों ।

महत्वपूर्ण टिप्पणियांः
यहाँ उपयोग किए गए वाक्यांश "सामान्यत: रहता है**" का वही अर्थ होगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20 में है ।
जाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने योग्य सक्षम प्राधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उप आयुक्त /अतिरिक्त उप आयुक्त / डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी / तालुक मजिस्ट्रेट /कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
2. मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम कोटि का न हो ।
4. उस क्षेत्र का उप जिलाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी तथा/या उनका परिवार रहता हो ।
5. प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)
6. किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

फॉर्म-पीडब्ल्यूडी (।।)

फॉर्म-।।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(अंग-विच्छेदन या अंगों के पूर्ण स्थायी अंगघात के मामलों में तथा अंधेपन के मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पता)
(नियम 4 देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का (केवल चेहरे का) पासपोर्ट आकार का नवीनतम सत्यापित फोटोग्राफ

प्रमाणपत्र संख्या ____________________________________ दिनांक ____________________

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ने श्री/श्रीमती/कुमारी________________________पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ____जन्म तिथि दिनांक (तिथि_____माह_____वर्ष______) आयु______ वर्ष, पुरुष/स्त्री, पंजीकरण संख्या_______स्थाई निवासी मकान सं. _______वार्ड/गाँव/गली ______________पो.ऑ._____________________________ जिला______________________राज्य____________________जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक जाँच की है, तथा मैं संतुष्ट हूँ कि:

(1) इनको यह मामला है:
  क. चलने-फिरने में दिव्यांगता
  ख. अंधापन
  (कृपया जो लागू होता हो उस पर निशान लगाएं)

(2) तथा इनकेमामले में निदान यह है कि ____
(3) दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार इनके/इनकी अपने ________________(शरीर के भाग) के संबंध में _______% (अंकों में)________________प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई शारीरिक विकलांगता /अंधापन है।
(4) अपने निवासस्थान के प्रमाण के रूप में आवेदक ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का प्रकार	जारी किए जाने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी किए जाने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/अँगूठा निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

फॉर्म-पीडब्ल्यूडी (III)

फॉर्म-III
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(बहुगुण दिव्यांगता के मामले में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पता)
(नियम 4 देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का (केवल चेहरे का) पासपोर्ट आकार का नवीनतम सत्यापित फोटोग्राफ

प्रमाणपत्र संख्या ______________________________ दिनांक ____________________________

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ने श्री/श्रीमती/कुमारी____पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री____जन्म तिथि दिनांक (तिथि___माह___वर्ष____) आयु_____ वर्ष, पुरुष/स्त्री, पंजीकरण संख्या_______स्थाई निवासी मकान नं.____________वार्ड/गाँव/गली ___________पो.ऑ.___________________जिला____________________राज्य______________जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानी पूर्वक जाँच की है, तथा मैं संतुष्ट हूँ कि:

1. इनका एक **बहुगुण दिव्यांगता** का मामला है । इनकी स्थाई शारीरिक असमर्थता/ दिव्यांगता का मूल्यांकन, नीचे चिन्हित असमर्थताओं हेतु दिशा निर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार किया गया है, तथा उसे नीचे दी गई सारणी में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक असमर्थता/मानसिक दिव्यांगता (%में)
1	चलने-फिरने में असमर्थता	@		
2	कम दृष्टि	#		
3	अंधापन	दोनों आँखों में		
4	सुनने में असमर्थता / श्रवण बाधित	£		
5	मानसिक मंदता	X		
6	मानसिक-रोग	X		

@ - अर्थात बायीं/दायीं/दोनों भुजाएं/टांगें – दोनों हाथ/पैर
 # - अर्थात एक आँख/दोनों आँखें
£ - अर्थात बायां/दायां/ दोनों कान

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार उनका/उनकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता निम्न प्रकार से है ।

आंकड़ों में : -------------------प्रतिशत

शब्दों में : ---------------------प्रतिशत

3. यह स्थिति बढ़ने वाली/न बढ़ने वाली /सुधरने की संभावना वाली/ न सुधरने की संभावना वाली है ।

4. दिव्यांगता का पुन: आकलन:

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _________वर्ष_________माह के बाद संस्तुत है, अतः यह प्रमाणपत्र (तिथि___माह____वर्ष_____) तक ही वैध होगा ।

5. अपने निवास स्थान के प्रमाण के रूप में आवेदक ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का प्रकार	जारी किए जाने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी किए जाने वाले प्राधिकारी का विवरण

6. चिकित्सा प्राधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर:

सदस्य का नाम तथा मोहर	सदस्य का नाम तथा मोहर	अध्यक्ष का नाम तथा मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

फॉर्म-पीडब्ल्यूडी(IV)

फॉर्म- IV

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म ।। तथा फॉर्म ।।। में उल्लिखित मामलों से अलग मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम तथा पता)

(नियम 4 देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का (केवल चेहरे का) पासपोर्ट आकार का नवीनतम सत्यापित फोटोग्राफ

प्रमाणपत्र संख्या ______________ दिनांक ______________

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ____ पुत्र/पत्नी/पुत्री ____ जन्म तिथि दिनांक (तिथि____माह___वर्ष_____) आयु______ वर्ष, पुरुष/स्त्री, पंजीकरण संख्या ________ स्थाई निवासी मकान नं. ______________वार्ड/गाँव/गली ____________ पो.आ. _____________ जिला ______________________ राज्य ________________ जिनका फोटोग्राफ ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानी पूर्वक जाँच की है, तथा मैं संतुष्ट हूँ कि यह एक _____________ दिव्यांगता का मामला है ।

1. इसका/ इसकी शारीरिक असमर्थता/ दिव्यांगता की प्रतिशतता हेतु मूल्यांकन दिशा निर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार किया गया है, तथा उसे नीचे दी गई सारणी में संबंधित अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	अशक्तता	निदान	स्थायी शारीरिक असमर्थता/मानसिक असमर्थता (प्रतिशत में)
1	चलने-फिरने में असमर्थता		
2	दृश्य असर्मथता (अंधापन/कम दृष्टि)		
3	सुनने में असमर्थता		
4	वाणी एवं भाषा असमर्थता		
5	मानसिक मंदता		
6	मानसिक-रोग		
7	क्रोनिक तंत्रिका संबंधी स्थिति और / या रक्त विकारों के कारण दिव्यांगता		

(कृपया उन दिव्यांगता को काट दें जो लागू न होती हों)

2. यह स्थिति बढ़ने वाली/न बढ़ने वाली /सुधरने की संभावना वाली/ न सुधरने की संभावना वाली है ।

3. दिव्यांगता का पुन:आकलन:

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _________वर्ष_________ माह के बाद संस्तुत है, अतः यह प्रमाणपत्र (तिथि___माह___वर्ष____) तक ही वैध होगा ।

4. अपने निवासस्थान के प्रमाण के रूप में आवेदक ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का प्रकार	जारी किए जाने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी किए जाने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम तथा मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक /सरकारी अस्पताल का अध्यक्ष, उस मामले में जब प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी सेवक नहीं है । (मोहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान
जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

टिप्पणी: उस मामले में जब प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्साधिकारीद्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी सेवक नहीं है तो, यह तभी वैध होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों ।

टिप्पणीः प्रधान नियम अधिसूचना संख्या एस.ओ. 908 (ई), दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

फॉर्म - डिस्लेक्सिक -1

डिस्लेक्सिया से पीड़ित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाणपत्र / रिपोर्ट का प्रारूप (किसी भी सरकार या सरकारी मान्यता प्राप्त लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक/ न्यूरोडेवलपमेंटल सेंटर/ डिस्लेक्सिया एसोशिएशॅन से प्राप्त किया जाए)

दिनांकः ______________

मनो-शिक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट

अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ

अभ्यर्थी का नामः
जन्म तिथि:
अभ्यर्थी
क्लिनिक/ सेंटर/डिस्लेक्सिया एसोसिएशन में पंजीकरण (दिनांक__________संख्या_____)
पिता/माता/संरक्षक का नामः
डिस्लेक्सिया एसोसिएशन का नाम/पता एवं पंजीकरण सं.
शारीरिक तथा तंत्रिकीय आकलनः [ ]
मनोवैज्ञानिक आकलन [ ]
डब्ल्यू.आई.एस.सी. मौखिक आई.क्यू:
निष्पादन आई.क्यू:
पूर्ण स्केल आई.क्यू:
व्याख्या [ ]
शैक्षणिक आकलन [ ]
प्रमाणित किया जाता है कि:

1. बाधा की स्थिति है: मंद / मध्यम / गंभीर (जो भी लागू होता हो उस पर निशान लगाएँ) *
2. दिव्यांगता की प्रकृति स्थाई है तथा
   डिस्लेक्सिया मूल्यांकन की विस्तृत रिपोर्ट इस प्रपत्र के साथ (मूल प्रति) संलग्न है।

* सीखने की अशक्तता एक स्थाई विकासात्मक विकार है । वर्तमान में इस गड़बड़ी को मापने की कोई मानक स्वीकृत विधि नहीं है । तो भी इसके निदान का तरीका शैक्षणिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण असमर्थता पर आधारित है । अशक्तता श्रेणी के अंतर्गत शिथिल कसौटी का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी को **गंभीर** श्रेणी के अन्तर्गत होना चाहिए ।

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) एवं हस्ताक्षर:

मुहर:

फॉर्म - डिस्लेक्सिक -2

*डिस्लेक्सिया अभ्यर्थी द्वारा यह प्रमाणपत्र अपने अंतिम स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य से लेकर प्रस्तुत किया जाना है

शंसापत्र

दिनांकः

अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ

अभ्यर्थी का नामः
जन्म तिथि:
स्कूल/कॉलेज का नाम व पता:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी______________________पुत्र/पुत्री श्री__________________

निवासी गांव/नगर ___________ने इस विद्यालय से अपनी कक्षा XII उत्तीर्ण की है तथा डिस्लेक्सिया श्रेणी के अंतर्गत छूट प्राप्त की है ।

मोहर सहित हस्ताक्षर :

---

*ऐसे उम्मीदवार जो बारहवीं कक्षा या समकक्ष ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से या निजी माध्यम से उत्तीर्ण की है, वो डिस्लेक्सिया के तहत लाभ उठाने के लिए बोर्ड में सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

फॉर्म – दिव्यांगता एवं लिखने में कठिनाई

आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम, 2016 की अनुच्छेद 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की अनुच्छेद 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने जाँच किया है श्री/सुश्री/श्रीमती____ (अभ्यर्थी के नाम), पुत्र/पुत्री______________________________________,निवासी ____(गावं/ पो.ऑ./थाना/जिला/राज्य), उम्र_______________ वर्ष, जो व्यक्ति ____ (दिव्यांगता /स्थिति के प्रकार), और यह बताने के लिए कि उसके/उसकी कुछ सीमाएँ हैं जो उपरोक्त स्थिति के कारण से उसके/उसकी लिखने की क्षमता में बाधा डालती है। उसे परीक्षा में लिखने के लिए लेखन सहायक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपरोक्त अभ्यर्थी सहायता प्रयोग एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट किया जाना है) का उपयोग करते हैं जो अभ्यर्थी के लिए लेखन सहायक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है/हैं।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किए जाते है और _______________ तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसे कि चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जा सकते है)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
ओर्थपेडीक/ पी एम आर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	पेशेवर थेरापिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत (यदि कोई)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ……………………. **अध्यक्ष**				

सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य सेवा केंद्र के नाम मोहर सहित

स्थान:
दिनांक:

फॉर्म– डी.एस.

प्रपत्र

शिक्षा छात्रवृत्ति - पात्रता कार्ड

(युद्धों/ शांतिकालीन अभियान में शहीद हुए/ दिव्यांग हुए/खोए गए सशस्त्र सुरक्षा बलों के कार्मिकों के बच्चों के लिए)

इस कार्ड का धारक श्री/कुमारी______________________________जन्म तिथि________________________

दिनांक______________________को युद्ध/ऑपरेशन _________________________(युद्ध/ऑपरेशन का नाम)

के दौरान शहीद हुए / स्थाई रूप से दिव्यांग हुए / खोए गए श्री/श्रीमती______________________________

रैंक____________यूनिट_________सर्विस__________सर्विस सं.______________का पुत्र/पुत्री है ।

संरक्षक का नाम: ____

पता: ____

____

धारक, युद्धों/ शांतिकालीन अभियान में शहीद हुए/ दिव्यांग हुए/खोए गए सशस्त्र सुरक्षा बलों के कार्मिकों के बच्चों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सभी शैक्षणिक छूट हेतु अर्ह है ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (दिनांक सहित):

कार्यालय का पता :

(शस्त्र बल कार्मिकों के संबंधित अभिलेख कार्यालय)

फॉर्म– लेखन सहायक (AMANUENSIS) -I

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लेखन सहायक (AMANUENSIS) हेतु निवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषक तिथिः

अभ्यर्थी का नामः ____________________________________
पता: ____
____

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 के आवेदन सं. [ ]

मोबाइल_____________________________ ई_मेल________________________________

अध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई /दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/कानपुर/खड़गपुर/रूड़की (उपयुक्त जोन पर निशान लगाएं)

प्रिय महोदय,

विषयः लेखन सहायक (AMANUENSIS) की आवश्यकता

मैं एक (दृष्टि बाधित/ डिस्लेक्सिया (गम्भीर)/ऊपरी अंगों में दिव्यांगता या उँगलियां न होने से) दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025 में लिखने के लिए मैं एक लेखन सहायक (AMANUENSIS) की सेवा लेना चाहूँगा/चाहूँगी। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें ।

मैंने सूचना विवरणिका के खंड 9, 14 और 15 को पढ़ा और समझा है । मैं जानता/ जानती हूं कि यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि मैंने लेखन सहायक की सेवाओं का उपयोग किया है परन्तु मैं दिव्यांगता की उस सीमा में नहीं आता/आती जो लेखन सहायक की सेवाओं के लिए अधिकार देता है तो मुझे मूल्यांकन, रैकिंग तथा प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि मैं पहले किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका/चुकी हूं तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
धन्यवाद

______________ ________________
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

(माता-पिता/संरक्षक का नाम)

संलग्नक – दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति

फॉर्म– लेखन सहायक (AMANUENSIS)-II

40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए लेखन सहायक (AMANUENSIS)- हेतु निवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषक तिथिः

अभ्यर्थी का नामः ____

पता: ____

____

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 के आवेदन संख्या: [ ]

मोबाइल:_________________________________ई_मेल:_____________________________________

अध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई /दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/कानपुर/खड़गपुर/रूड़की (उपयुक्त जोन पर निशान लगाएं)

प्रिय महोदय,

विषयः लेखन सहायक (AMANUENSIS) की आवश्यकता

मैं एक 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाला/वाली व्यक्ति हूँ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025 में लिखने के लिए मैं एक लेखन सहायक (AMANUENSIS) की सेवा लेना चाहूँगा/चाहूँगी। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें ।
मैंने सूचना विवरणिका के खंड 9, 14 और 15 को पढा और समझा है। मैं जानता/ जानती हूं कि यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि मैंने लेखन सहायक की सेवाओं का उपयोग किया है परन्तु मैं दिव्यांगता की उस सीमा में नहीं आता/आती जो लेखन सहायक की सेवाओं के लिए अधिकार देता है तो मुझे मूल्यांकन, रैंकिंग तथा प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि मैं पहले किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका/चुकी हूं तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद

________________ ____________________

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

(माता-पिता/संरक्षक का नाम)

संलग्नक – दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति

फॉर्म- अनुपूरक समय-I

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त समय का उपयोग करने हेतु पत्र का प्रारूप

प्रेषक तिथिः

अभ्यर्थी का नामः ____________________________________

पता: ____
____

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 का आवेदन संख्या: [ ]

मोबाइल:__________________________ ई-मेल:________________________________

अध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई /दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/कानपुर/खड़गपुर/रूड़की (उपयुक्त जोन पर निशान लगाएं)

प्रिय महोदय,

विषयः अतिरिक्त समय हेतु आवश्यकता

मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ तथा जेईई (उच्च) 2025 के प्रत्येक प्रश्न-पत्र (अर्थात प्रश्न-पत्र - 1 एवं 2) के लिए एक घंटे का अनुपूरक समय का उपयोग करना चाहता/चाहती हूँ ।

मैंने सूचना विवरणिका के खंड 9, 14 और 15 को पढा और समझा है। मैं जानता/ जानती हूं कि यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि मैंने अनुपूरक समय का उपयोग किया है परन्तु मैं विकलांगता की उस सीमा में नहीं आता/आती जो अनुपूरक समय का अधिकार देता है तो मुझे मूल्यांकन, रैकिंग तथा प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि मैं पहले किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका/चुकी हूं तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

______________ ________________
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

(माता-पिता/संरक्षक का नाम)

संलग्रक – दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति

फॉर्म- अनुपूरक समय-II

40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए अतिरिक्त समय का उपयोग करने हेतु पत्र का प्रारूप

प्रेषक तिथिः

अभ्यर्थी का नामः ______________________________

पता ______________________________
____

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 का आवेदन संख्या: [ ]

मोबाइल :______________________ई-मेल:______________________

अध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उच्च) 2025
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई /दिल्ली/गुवाहाटी/हैदराबाद/कानपुर/खड़गपुर/रूड़की (उपयुक्त जोन पर निशान लगाएं)

प्रिय महोदय,

विषयः अतिरिक्त समय हेतु आवश्यकता

मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ तथा जेईई (उच्च) 2025 के प्रत्येक प्रश्न-पत्र (अर्थात प्रश्न-पत्र - 1 एवं 2) के लिए एक घंटे का अनुपूरक समय का उपयोग करना चाहता/चाहती हूँ।

मैंने सूचना विवरणिका के खंड 9, 14 और 15 को पढा और समझा है। मैं जानता/ जानती हूं कि यदि बाद में किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि मैंने अनुपूरक समय का उपयोग किया है परन्तु मैं विकलांगता की उस सीमा में नहीं आता/आती जो अनुपूरक समय का अधिकार देता है तो मुझे मूल्यांकन, रैंकिंग तथा प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यदि मैं पहले किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश ले चुका/चुकी हूं तो मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

______________ ______________
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

(माता-पिता/संरक्षक का नाम)

संलग्नक – दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति

स्कूल बोर्ड द्वारा जारी शीर्ष 20 प्रतिशतक स्कोर प्रमाणपत्र

<परीक्षा बोर्ड का नाम>

<परीक्षा का वर्ष>

श्रेणी-वार टॉप 20 प्रतिशतक कट-ऑफ अंक

यह घोषित किया जाता है कि <बोर्ड का नाम> द्वारा आयोजित <परीक्षा का नाम> (परीक्षा का <महीना और वर्ष>) में उपस्थित होने वाले श्रेणी-वार शीर्ष 20-प्रतिशत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निम्नलिखित हैं।

कुल अंक : <कुल अंक>

कट-ऑफ अंक: निम्नलिखित तालिका के अनुसार।

सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	पीडब्ल्यूडी

नाम एवं हस्ताक्षर

बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की मुहर

अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ

अभ्यर्थी का नामः ______________________

पता ______________________

____

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 का आवेदन संख्या: ______________________

मोबाइल नं:______________________ ई-मेल:______________________

मैं जानता/जानती हूँ कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के नए दिशानिर्देश के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद जारी ओ.बी.सी.-एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

यद्यपि मैं प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं कर सका/ सकी हूँ, मैं अनुरोध करता/ करती हूँ कि मुझे अनंतिम तौर पर जेईई (उच्च) 2025 लिखने की अनुमति दी जाए । मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने जेईई (मुख्य) 2025 की परीक्षा ओबीसी-एनसीएल के उम्मीदवार के रूप में लिखी थी और मैं सीट आवंटन के बाद रिपोर्ट के समय एक नया प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2025 को/के बाद जारी) वेब पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा/दूंगी ।

मैं ये जानता/ जानती हूं कि यदि दिए गए समय तथा तिथि पर प्रमाण-पत्र अपलोड करने में असमर्थ रहता/ रहती हूँ तो मैं ओबीसी-एनसीएल के मिले लाभ वापस वापस करुँगा/ करुँगी । मैं ये भी जानता हूँ तदनुसार मेरी योग्यता के आधार पर मेरी श्रेणी सामान्य रैंक सूची में समायोजित की जाएगी ।

पिता / माता के हस्ताक्षर
नाम :
तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर
तिथि :

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

अभ्यर्थी का नाम : ____

पता : ____

____

____

अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 का आवेदन संख्या: [   ]

मोबाइल नं: ______________________ई-मेल: ______________________

यद्यपि मैं प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं कर सका/ सकी हूँ, मैं अनुरोध करता/ करती हूँ कि मुझे अनंतिम तौर पर जेईई (उच्च) 2025 लिखने की अनुमति दी जाए । मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने जेईई(मुख्य) 2025 की परीक्षा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में लिखी थी और मैं सीट आवंटन के बाद रिपोर्ट के समय एक नया प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2025 को/के बाद जारी) वेब पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा/दूंगी ।

मैं समझता हूं कि दी गई तारीख और समय तक इसे अपलोड करने में असमर्थता से आरक्षण का लाभ वापस ले लिया जाएगा ।

माता/पिता के हस्ताक्षर

नाम :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर (GEN-EWS) वर्ग प्रमाण पत्र के एवज में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ

अभ्यर्थी का नामः ______________________

पता: ______________________

____

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 का आवेदन संख्या: ______________________

मोबाइल नं:______________________ ई-मेल:______________________

मैं जानता/जानती हूँ कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के नए दिशानिर्देश के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद जारी सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यद्यपि मैं प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं कर सका/ सकी हूँ, मैं अनुरोध करता/ करती हूँ कि मुझे अनंतिम तौर पर जेईई (उच्च) 2025 लिखने की अनुमति दी जाए । मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने जेईई (मुख्य) 2025 की परीक्षा सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार के रूप में लिखी थी और मैं सीट आवंटन के बाद रिपोर्ट के समय एक नया प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2025 को/के बाद जारी) वेब पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा/दूंगी ।

मैं ये जानता/ जानती हूं कि यदि दिए गए समय तथा तिथि पर प्रमाण-पत्र अपलोड करने में असमर्थ रहता/ रहती हूँ तो मैं सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मिले लाभ वापस वापस करुँगा/ करुँगी । मैं ये भी जानता/ जानती हूँ तदनुसार मेरी योग्यता के आधार पर मेरी श्रेणी सामान्य रैंक सूची में समायोजित की जाएगी ।

पिता / माता के हस्ताक्षर
नाम :
तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर
तिथि :

फॉर्म-विद्ड्रॉन-प्रमाणपत्र

डब्लूपी(सी) संख्या 854/2024 और 17/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पात्र भावी उम्मीदवारों के शैक्षणिक संस्थान से प्रमाण पत्र प्रारूप

सेवा में,

आयोजक अध्यक्ष
जेईई (उच्च) 2025
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

प्रिय महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री... (छात्र/छात्रा का नाम), पुत्र/पुत्री...

(पिता/माता का नाम), निवासी ....(पता), जेईई (मुख्य) 2025 आवेदन संख्या ....जो कि... (शैक्षणिक संस्थान का नाम) के वास्तविक छात्र/ छात्रा थे/थीं, और उन्होंने (डिग्री-शाखा) ....में........................... (महीना/वर्ष) में प्रवेश लिया था। उनका/उनकी छात्र आईडी संख्या........................थी। उन्होंने बाद में (दिनांक/माह/वर्ष) को ....पाठ्यक्रम/डिग्री कार्यक्रम से नाम वापस लेने के लिए आवेदन किया और कार्यक्रम से नाम वापस लेने संबंधी अनुरोध को शैक्षणिक संस्थान द्वारा ....(दिनांक/माह/वर्ष) को स्वीकार कर लिया गया।

हस्ताक्षर एवं मुहर
(अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक)

अधिष्ठाता/प्राचार्य /निदेशक का नाम:...

पद का नाम:...

शैक्षणिक संस्थान का नाम:...

मोबाइल नंबर:..

ईमेल आईडी:...

फॉर्म- विद्ड्रॉन-शपथपत्र

डब्लूपी(सी) संख्या 854/2024 और 17/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पात्र संभावित उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्र प्रारूप

अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

"मैं, ...(आवेदक का नाम), पुत्र/पुत्री..(पिता/माता का नाम), निवासी..(पता) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि:

1. मैंने/मेरे पुत्र/पुत्री ने... (कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम) में, ... (महीना-वर्ष) में ....(डिग्री-ब्रांच) में प्रवेश लिया। मेरा/ मेरे पुत्र/पुत्री का छात्र आईडी नंबर .... था।

2. मैंने/मेरे पुत्र/पुत्री ने बाद में ....(दिन/माह/वर्ष) को उपरोक्त पाठ्यक्रम/डिग्री कार्यक्रम से नाम वापस लेने के लिए आवेदन किया और कार्यक्रम से नाम वापस लेने का अनुरोध कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा......................... (दिन/माह/वर्ष) को स्वीकार कर लिया गया।"

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर
या
विधिक अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर (यदि आवेदक नाबालिग है)

सत्यापन

मैं, ..., 2025 के इस दिन......................................., यह सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं, शपथपत्र का कोई भी भाग झूठा नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर
या
विधिक अभिभावक का नाम और हस्ताक्षर (यदि आवेदक नाबालिग है)

अनुलग्नक –III:
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत पाठ्यक्रम

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 में प्रस्तुत पाठ्यक्रम

	Programme Name	BHU	ISM	Bh	Bbs	B	D	Dh	Gn	Goa	G	H	I	Jm	J	K	Kgp	M	Mandi	Pkd	P	R	Rpr	T
	Bachelor of Technology (4 Years)																							
1	Aerospace Engineering					✔										✔	✔	✔						
2	Agricultural and Food Engineering																✔							
3	Artificial Intelligence								✔			✔					✔							
4	Artificial Intelligence and Data Analytics																	✔						
5	Artificial Intelligence and Data Engineering																						✔	
6	Artificial Intelligence and Data Science														✔						✔			
7	B.Tech in General Engineering																		✔					
8	B.Tech in Materials Science and Engineering																		✔					
9	B.Tech in Mathematics and Computing																		✔					
10	B.Tech in Microelectronics & VLSI																		✔					
11	Bio Engineering														✔				✔					
12	Biological Engineering																	✔						
13	Biological Sciences and Bioengineering															✔								
14	Biomedical Engineering											✔												
15	Biosciences and Bioengineering										✔											✔		
16	Biotechnology and Biochemical Engineering						✔										✔							
17	Biotechnology and Bioinformatics											✔												
18	Ceramic Engineering	✔																						
19	Chemical and Biochemical Engineering							✔																
20	Chemical Engineering	✔	✔			✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔
21	Chemical Science and Technology										✔										✔			
22	Civil and Infrastructure Engineering							✔							✔									
23	Civil Engineering	✔	✔		✔	✔	✔		✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
24	Computational Engineering											✔												
25	Computer Science and Engineering	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
26	Data Science and Artificial Intelligence			✔							✔											✔		
27	Data Science and Engineering																		✔	✔				
28	Electrical and Electronics Engineering							✔													✔			
29	Electrical Engineering	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔
30	Electrical Engineering (IC Design and Technology)											✔												
31	Electrical Engineering (Power and Automation)						✔																	

	Programme Name	BHU	ISM	Bh	Bbs	B	D	Dh	Gn	Goa	G	H	I	Jm	J	K	Kgp	M	Mandi	Pkd	P	R	Rpr	T
32	Electronics and Communication Engineering		✔	✔	✔			✔			✔										✔	✔		
33	Electronics and Electrical Communication Engineering																✔							
34	Electronics and Electrical Engineering										✔													
35	Electronics Engineering	✔																						
36	Energy Engineering					✔	✔				✔											✔		
37	Engineering and Computational Mechanics						✔																	
38	Engineering Physics		✔		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔					✔	✔		✔	✔	✔	✔
39	Engineering Science											✔												
40	Environmental Engineering		✔																					
41	Environmental Science and Engineering					✔																		
42	Industrial and Systems Engineering																✔							
43	Industrial Chemistry											✔												
44	Industrial Engineering and Operations Research					✔																		
45	Instrumentation Engineering																✔							
46	Integrated Circuit Design & Technology								✔															
47	Manufacturing Science and Engineering																✔							
48	Materials Engineering						✔		✔					✔	✔									
49	Materials Science and Engineering															✔								
50	Materials Science and Metallurgical Engineering			✔								✔												
51	Mathematics and Computing		✔				✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔							✔		✔	
52	Mechanical Engineering	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
53	Mechatronics Engineering			✔																				
54	Metallurgical and Materials Engineering				✔												✔	✔			✔	✔	✔	
55	Metallurgical Engineering	✔																						
56	Metallurgical Engineering and Materials Science					✔							✔											
57	Mineral and Metallurgical Engineering		✔																					
58	Mining Engineering	✔(AR)	✔(AR)														✔(AR)							
59	Mining Machinery Engineering		✔(AR)																					
60	Naval Architecture and Ocean Engineering																	✔						
61	Ocean Engineering and Naval Architecture																✔							
62	Petroleum Engineering		✔																					
63	Pharmaceutical Engineering & Technology	✔																						
64	Production and Industrial Engineering						✔															✔		
65	Space Sciences and Engineering												✔											
66	Textile Technology						✔																	
	Bachelor of Science (4 Years)																							
67	Applied Geology																✔(AR)							

	Programme Name	BHU	ISM	Bh	Bbs	B	D	Dh	Gn	Goa	G	H	I	Jm	J	K	Kgp	M	Mandi	Pkd	P	R	Rpr	T
68	Biological Science																	✔						
69	BS in Chemical Sciences																		✔					
70	BS in Mathematics					✔																		
71	Chemistry					✔										✔	✔							
72	Chemistry with Specialization														✔									
73	Earth Sciences															✔								
74	Economics					✔										✔	✔				✔			
75	Exploration Geophysics																✔(AR)							
76	Mathematics and Computing																✔							
77	Mathematics and Scientific Computing															✔								
78	Physics															✔	✔							
79	Physics with Specialization														✔									
80	Statistics and Data Science															✔								
	B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree) (5 Years)																							
81	B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering																				✔			
82	B. Tech in CE. - M. Tech. in Structural Engineering																				✔			
83	B. Tech. (CSE) and M.Tech in CSE																				✔			
84	B. Tech. (ECE) -M. Tech. in VLSI																				✔			
85	B. Tech. (EEE)-M. Tech. in (Power &. Control)																				✔			
86	B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing)																				✔			
87	B. Tech. (ME) - M. Tech. in Mechatronics																				✔			
	Bachelor and Master of Technology (Dual Degree) (5 Years)																							
88	Aerospace Engineering																	✔						
89	B.Tech. in Electronics and Communication Engineering and M.Tech. in Communication Systems																				✔			
90	Biochemical Engineering with M.Tech. in Biochemical Engineering and Biotechnology	✔																						
91	Bioengineering with M.Tech in Biomedical Technology	✔																						
92	Ceramic Engineering	✔																						
93	Chemical Engineering						✔																	
94	Civil Engineering	✔																						
95	Computer Science and Engineering	✔					✔		✔															
96	Electrical Engineering					✔			✔															
97	Electrical Engineering with M.Tech. in Power Electronics	✔																						
98	Engineering Design																	✔						
99	Engineering Physics	✔																						
100	Industrial Chemistry	✔																						

	Programme Name	BHU	ISM	Bh	Bbs	B	D	Dh	Gn	Goa	G	H	I	Jm	J	K	Kgp	M	Mandi	Pkd	P	R	Rpr	T
101	Materials Science and Technology	✔																						
102	Mathematics and Computing	✔					✔																	
103	Mechanical Engineering	✔							✔															
104	Metallurgical Engineering	✔																						
105	Mining Engineering	✔ (AR)																						
106	Pharmaceutical Engineering & Technology	✔																						
	Bachelor of Architecture (5 Years)																							
107	Architecture	✔ (AR)															✔ (AR)					✔ (AR)		
	Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree) (5 Years)																							
108	Chemical Sciences																					✔		
109	Economics																					✔		
110	Interdisciplinary Sciences							✔																
111	Mathematics & Computing																					✔		
112	Physics																	✔				✔		
	Bachelor of Science and MBA (Dual Degree) (5 Years)																							
113	BS in Economics with MBA (IIM Bodh Gaya)																				✔			
	Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree) (5 Years)																							
114	B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)																				✔			
115	B.Tech (Chemical Engineering) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)																				✔			
116	B.Tech (Chemical Science and Technology) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya)																				✔			
117	B.Tech (Civil Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)																				✔			
118	B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)																				✔			
119	B.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)																				✔			
120	B.Tech (Electronics and Communication Engineering) - MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya)																				✔			
121	B.Tech (Engineering Physics) - MBA (IIM Bodh Gaya)																				✔			

	Programme Name	BHU	ISM	Bh	Bbs	B	D	Dh	Gn	Goa	G	H	I	Jm	J	K	Kgp	M	Mandi	Pkd	P	R	Rpr	T
122	B.Tech (Mathematics and Computing) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya)																				✔			
123	B.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai)																				✔			
124	B.Tech (Metallurgical and Materials Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya)																				✔			
	Integrated Master of Technology (5 Years)																							
125	Applied Geology		✔(AR)																					
126	Applied Geophysics		✔(AR)																					
127	Geological Technology																					✔		
128	Geophysical Technology																					✔		

पश्च टिप्पणी. 1) AR: इन पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त अनिवार्यताएं हैं।
2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में बी.टेक./बी. एस. उपाधियाँ बी.टेक.(ऑनर्स)/बी. एस. (ऑनर्स) उपाधियाँ हैं।

अनुलग्नक – IV: महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रम संख्या	गतिविधि	दिन, तिथि एवं समय (आई एस टी)
1	जेईई (मुख्य) 2025 [एन टी ए द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा]	जेईई (मुख्य) वेबसाइट
2	एन टी ए द्वारा जेईई (मुख्य) 2025 का परिणाम	जेईई (मुख्य) वेबसाइट
3	जेईई (उच्च) 2025 हेतु ऑनलाइन पंजीकरण	बुधवार, 23 अप्रैल 2025 (10:00 IST) से शुक्रवार, 02 मई 2025 (23:59 IST) तक
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	सोमवार, 05 मई 2025 (23:59 IST)
5	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध	रविवार, 11 मई 2025 (10:00 IST) से रविवार, 18 मई 2025 (14:30 IST) तक
6	दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए लेखन सहायक का चयन	शनिवार, 17 मई 2025
7	**जेईई (उच्च) 2025 परीक्षा**	**रविवार, 18 मई 2025** प्रश्नपत्र 1: 09:00 – 12:00 IST प्रश्नपत्र 2: 14:30 – 17:30 IST
8	जेईई (उच्च) 2025 की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के उत्तरों की उपलब्धता	गुरुवार, 22 मई 2025, (17:00 IST)
9	अनंतिम उत्तर कुंजियों का ऑनलाइन प्रदर्शन	सोमवार, 26 मई 2025 (10:00 IST)
10	अनंतिम उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थियों के सुझाव एवं टिप्पणियाँ	सोमवार, 26 मई 2025 (10:00 IST) से मंगलवार, 27 मई 2025 (17:00 IST) तक
11	जेईई(उच्च) 2025 के अंतिम उत्तर कुंजियों एवं परिणाम की ऑनलाइन घोषणा	सोमवार, 02 जून 2025 (10:00 IST)
12	वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (एएटी) 2025 हेतु ऑनलाइन पंजीकरण	सोमवार, 02 जून 2025 (10:00 IST) से मंगलवार, 03 जून 2025 (17:00 IST) तक
13	संयुक्त सीट आबंटन (जोसा) 2025 प्रक्रिया की सम्भावित शुरूआत	मंगलवार, 03 जून 2025 (17:00 IST)
14	वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (एएटी) 2025	गुरुवार, 05 जून 2025 (09:00 IST से 12:00 IST तक)
15	एएटी 2025 के परिणाम की घोषणा	रविवार, 08 जून 2025 (17:00 IST)

अनुलग्नक – V: क्षेत्र-वार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संपर्क विवरण

क्षेत्र-वार संस्थान	संपर्क हेतु पता	फोन नं. तथा ई-मेल
दक्षिण **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति	अध्यक्ष जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद हैदराबाद – 502285	फोन: +91 40 23016802 ई-मेल: office.jee@iith.ac.in
पश्चिम **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड	अध्यक्ष जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई पवई, मुंबई – 400076	फोन: +91 22 25769093 +91 22 25764063 ई-मेल: jeeadv@iitb.ac.in
उत्तर-केन्द्रीय **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू	अध्यक्ष जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली हौज़ खास,नई दिल्ली - 110016	फोन: +91 11 26591785 +91 11 26591798 +91 11 26597099 ई-मेल: jeeadv@admin.iitd.ac.in
उत्तर-पूर्व **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना	अध्यक्ष, जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी गुवाहाटी - 781039	फोन: +91 361 2692795 ई-मेल: jee@iitg.ac.in
केन्द्रीय **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर*#** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(का.हि.वि.) वाराणसी	अध्यक्ष जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर कानपुर - 208 016	फोनः +91 512 2597325 ई-मेल: jeeadv@iitk.ac.in
पूर्व **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई	अध्यक्ष जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर खड़गपुर – 721302	फोन: +91 3222282101 ई-मेल: jeeadv@iitkgp.ac.in
उत्तर **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की*** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़	अध्यक्ष जेईई (उच्च) 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की रूड़की - 247667	फोन: +91 1332 284272 ई-मेल: jeech@iitr.ac.in

***क्षेत्रीय समन्वयक** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
#आयोजक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

अनुलग्नक-VI: डब्लूपी(सी) संख्या 854/2024 और 17/2025 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण हेतु पात्र संभावित उम्मीदवारों का विवरण

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10.01.2025 के नवीनतम आदेश (रिट याचिका (सिविल) संख्या 854/2024 और 17/2025 से संबंधित) के परिणामस्वरूप, जो छात्र 2023 में पहली बार अपनी कक्षा 12 की परीक्षा में उपस्थित हुए और अपने पाठ्यक्रमों से हट गए हैं और 05.11.2024 से 18.11.2024 के बीच पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें इस सूचना विवरणिका के खंड 11 में उल्लिखित सभी अन्य लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, जेईई (उच्च) 2025 के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।

ऐसे छात्रों को उपरोक्त आदेश के अनुसार जेईई (उच्च) 2025 में पंजीकरण करने और उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित **सभी दस्तावेज अनिवार्य** रूप से अपलोड करने होंगे:

1. **फॉर्म-विद्ड्रॉन-प्रमाणपत्र** में दिए गए प्रारूप के अनुसार, उनके संस्थान के प्रमुख (अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक) से विधिवत मुहर लगी हुई और हस्ताक्षरित एक पत्र।
2. **फॉर्म- विद्ड्रॉन -शपथपत्र** में दिए गए प्रारूप के अनुसार 10 रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत स्टाम्प और सत्यापित किया गया शपथपत्र । यदि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उम्मीदवार का शपथ पत्र होना चाहिए। यदि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम है तो शपथपत्र उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक द्वारा दिया जाना चाहिए।
3. अभ्यर्थी को उसके कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से जारी किया गया विद्ड्रॉअल पत्र/अधिसूचना।

नोट: यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई कोई जानकारी या दस्तावेज गलत या कूटरचित हैं, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उम्मीदवार के खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है ।

प्रतिभागी संस्थान

IIT Bhilai	IIT Bhubaneswar	IIT Bombay	IIT Delhi	IIT (ISM) Dhanbad
IIT Dharwad	IIT Gandhinagar	IIT Goa	IIT Guwahati	IIT Hyderabad
IIT Indore	IIT Jammu	IIT Jodhpur	IIT Kanpur	IIT Kharagpur
IIT Madras	IIT Mandi	IIT Palakkad	IIT Patna	IIT Roorkee
	IIT Ropar	IIT Tirupati	IIT (BHU) Varanasi	

© IIT Kanpur